

**IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 196 OF 2022
MISC. APPLICATION NO. 38 OF 2023

Hariom Gupta

...Applicant

Versus

Nagar Palika Parishad, Loni & Ors.

...Respondent

INDEX

S.N O	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE EXECUTIVE OFFICER GHAZIABAD, IN COMPLIANCE WITH THE ORDER DATED 23.10.2024	1 - 10
2.	<u>ANNEXURE 1.</u> Copy of letter no. 1579/NPP Loni Ghaziabad/2023/2024 dated 16.01.2024, issued to the Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Loni, directing the preparation of a Detailed Project Report (DPR) for sewage treatment in Pooja Colony.	11
3.	<u>ANNEXURE 2.</u> Copy of letter dated 25.01.2024 from the Joint Secretary, Urban Development Department, Government of Uttar Pradesh, to the State Mission Director (AMRUT) and Managing Director, UP Jal Nigam (Urban), regarding DPR preparation for sewage discharge management in Pooja Colony.	12
4.	<u>ANNEXURE 3.</u> Photographic evidence of the sewage suction machine in operation in Pooja Colony as a temporary measure since 15.01.2024, removing approximately 20,000 liters of sewage daily.	13 - 14

5.	<u>ANNEXURE 4.</u> Minutes of the joint survey conducted on 21.06.2024 by UP Jal Nigam and Nagar Palika Parishad, Loni, with validation by UPPCB, to assess sewage management requirements in Pooja Colony	15 - 16
6.	<u>ANNEXURE 5.</u> Copy of letter no. 281/NPP Lo/2024-2025 dated 22.06.2024 from the Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Loni, to the Executive Engineer, UP Jal Nigam, requesting funds for the geographical survey.	17
7.	<u>ANNEXURE 6.</u> Copy of letter no. 0-763/V-2/15 dated 24.06.2024 from the Executive Engineer, Construction Division (I), UP Jal Nigam, providing account details for the advance payment of ₹5 lakhs for the geographical survey.	18
8.	<u>ANNEXURE 7.</u> Fund transfer confirmation letter dated 27.06.2024, confirming the transfer of ₹5 lakhs by Nagar Palika Parishad, Loni, to UP Jal Nigam for the geographical survey.	19
9.	<u>ANNEXURE 8.</u> Copy of the letter dated 25.06.2024 sent to both UP Jal Nigam and Nagar Palika Parishad, Loni, highlighting the importance of establishing proper sewage treatment arrangements as per the Tribunal's directives.	20 - 21
10	<u>ANNEXURE 9.</u> Copy of letter dated 26.06.2024, referenced as 1332/NGT, to the Chief Engineer, UP Jal Nigam (Urban), requesting a compliance report detailing actions taken to date.	22
11	<u>ANNEXURE 10.</u>	

	Copy of the letter to the Executive Engineer, Construction Division (I), UP Jal Nigam, seeking clarification on any delays and steps being taken for compliance with the Tribunal's directives.	23 - 24
12	<u>ANNEXURE 11.</u> Minutes of the video conference held by the Principal Secretary, Urban Development, on 18.07.2024, directing financial details under the 15th Finance Commission for project facilitation.	25 - 26
13	<u>ANNEXURE 12.</u> Copy of Letter No. 515/2024-25 dated 23.07.2024 from the Executive Officer, detailing available funds in the 15th Finance Commission account for project implementation.	27 - 28
14	<u>ANNEXURE 13.</u> Copy of letter no. 194/NV-5-2024 dated 23.07.2024 from the Joint Secretary, requesting immediate legal action per the Tribunal's orders concerning the tied grant.	29
15	<u>ANNEXURE 14.</u> Copy of the Executive Officer's letter dated 23.07.2024, allocating 15,000 square meters of land for project development as requested by UP Jal Nigam.	30
16	<u>ANNEXURE 15.</u> Minutes of the urgent meeting of the 15th Finance Commission held on 24.07.2024, chaired by the District Magistrate, approving ₹53,63,77,370 for the project.	31 - 34
17	<u>ANNEXURE 16.</u> Fund transfer confirmation dated 26.07.2024, verifying the transfer of ₹53,63,77,370 to UP Jal Nigam for project execution.	35 - 38
18	<u>ANNEXURE 17.</u>	

	Copy of the E-tender notice issued by UP Jal Nigam for DPR execution, inviting technical bids, scheduled for opening on 21.08.2024.	39 - 46
19	<u>ANNEXURE 18.</u> Recent photographic evidence of the ongoing sewage suction process in Pooja Colony, collecting 20,000 liters of sewage daily for STP disposal.	47 - 73

EXECUTIVE OFFICER , GHAZIABAD

Through

Date: 09.11.2024

Place: New Delhi



PRIYANKA SWAMI

ADVOCATE

Counsel for Nagar Palika Parishad, Loni
F-13, JANGPURA, NEW DELHI 110014

E-mail: advpriyankaswami@gmail.com

**IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 196 OF 2022

MISC. APPLICATION NO. 38 OF 2023

Hariom Gupta

...Applicant

Versus

Nagar Palika Parishad, Loni & Ors.

...Respondents

**COMPLIANCE REPORT ON BEHALF OF THE EXECUTIVE OFFICER
GHAZIABAD, IN COMPLIANCE WITH THE ORDER DATED 23.10.2024**

1. This compliance report is respectfully submitted in response to the orders of the Hon'ble Tribunal dated **23.10.2024**, which require strict adherence to the directives set forth regarding the discharge of sewerage in the greenbelt of the residential area. The Hon'ble Tribunal has expressed concerns regarding the lack of effective steps taken by **Nagar Palika Parishad, Loni** in addressing this issue. Accordingly, the following submissions clarify the necessity for **Nagar Palika Parishad, Loni** to submit a detailed reply on this matter at least three days before the next hearing. The order states:

"The applicant, present in person, stated that with regard to the discharge of sewerage in the greenbelt of the residential area, no effective steps have been taken by Nagar Palika Parishad, Loni. We require Nagar Palika Parishad, Loni also to submit its reply on this aspect at least three days before the next date."

2. That this compliance report is respectfully submitted in response to the orders passed by the Hon'ble National Green Tribunal in **Miscellaneous Application No. 38/2023** within **Original Application No. 196/2022**, filed by **Hariom**

Gupta against the **Executive Officer, Nagar Palika, Loni**. The **Executive Officer**, in particular, has demonstrated sincere and proactive efforts to ensure the Hon'ble Tribunal's directives are complied with fully, effectively addressing the complex challenges presented by the unauthorized settlements in **Pooja Colony** and the corresponding waste management issues. The following actions detail the extensive efforts and diligent commitment of the **Executive Officer** and other authorities in meeting the Tribunal's directives.

3. That, in compliance with the Hon'ble Tribunal's order dated **09.01.2024**, the **Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Loni** took immediate action by issuing **letter no. 1579/NPP Loni Ghaziabad/2023/2024 dated 16.01.2024**. This letter instructed the **Chief Engineer, U.P. Jal Nigam, Ghaziabad** to prepare a Detailed Project Report (DPR) for sewage treatment in **Pooja Colony**. Recognizing the urgency of addressing sewage discharge concerns, the **Executive Officer** prioritized the DPR as an essential foundation for implementing sustainable and effective sewage management in line with the Hon'ble Tribunal's directives. A true copy of this letter dated **16.01.2024** is annexed as **ANNEXURE 1**.
4. That on **25.01.2024**, the **Joint Secretary, Urban Development Department, Government of Uttar Pradesh**, issued additional directions to the **State Mission Director (AMRUT), Urban Local Bodies Directorate, UP**, and the **Managing Director, UP Jal Nigam (Urban), Lucknow** to ensure the DPR's preparation for managing sewage discharge from **Pooja Colony**. This directive, reiterated by the **Executive Officer**, emphasized the urgency of complying with the Tribunal's orders, and officials worked in a coordinated effort to expedite the preparation of this crucial DPR. A copy of this letter dated **25.01.2024** is annexed as **ANNEXURE 2**.

5. That acknowledging the initiative taken by the **U.P. Jal Nigam** in launching preliminary work on the DPR, the Hon'ble Tribunal scheduled the next hearing for **03.04.2024** to assess the progress achieved and review any unresolved issues in ensuring compliance.
6. That, as a dedicated and proactive interim solution, **Nagar Palika Parishad, Loni** initiated the deployment of a sewage suction machine to address immediate sewage management in **Pooja Colony**. Under the constant oversight of the **Executive Officer**, this process of sewage suction has been ongoing continuously since **15.01.2024** as a temporary measure to remove sewage water from the affected area. Two tankers with a **5,000-liter capacity each** have been deployed daily to remove approximately **20,000 liters of sewage**, which is then transported to a nearby Sewage Treatment Plant (STP) for scientific disposal. This ongoing measure underscores the **Executive Officer's** commitment to mitigating environmental harm and meeting the immediate needs of Pooja Colony residents while long-term solutions are developed. Photographic evidence of the suction machine in operation is annexed as **ANNEXURE 3**.
7. That on **21.06.2024**, a joint survey was conducted by officials from **UP Jal Nigam** and **Nagar Palika Parishad, Loni**, aimed at thoroughly assessing the sewage issues in **Pooja Colony** and identifying specific challenges that the DPR should address. Notably, this survey received validation from the **Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB)**, which recognized the need for targeted solutions due to the low-lying nature of the area, where sewage accumulation is frequent. The **Executive Officer's** persistence in facilitating this survey demonstrates a thorough and systematic approach to tackling the issue. The minutes of this joint meeting are annexed as **ANNEXURE 4**.

8. That during the survey, it was determined that **Pooja Colony** lies in a low-lying area prone to sewage accumulation, making a detailed geographical survey essential to finalize the DPR for effective STP installation and drainage management. The **Executive Officer**, cognizant of the technical requirements, promptly advocated for this survey, with an estimated cost of **₹5 lakhs**. This immediate decision reflects the **Executive Officer's** unwavering commitment to advancing environmental compliance and ensuring the project proceeds unhindered.
9. That upon realization of the need for this geographical survey, the **Executive Officer** acted swiftly, issuing **letter no. 281/NPP Lo/2024-2025 dated 22.06.2024** to the **Executive Engineer, Construction Division (I), UP Jal Nigam (Urban), Ghaziabad**, with a formal request for the necessary funds and account details to expedite the survey's execution. A copy of the letter dated **22.06.2024** is annexed as **ANNEXURE 5**.
10. That in response, the **Executive Engineer, Construction Division (I), UP Jal Nigam** issued **letter no. 0-763/V-2/15 dated 24.06.2024**, confirming the account details and necessary procedures for the advance payment of **₹5 lakhs** to initiate the geographical survey. A copy of this letter is annexed as **ANNEXURE 6**.
11. That acting without delay, the **Nagar Palika Parishad, Loni** successfully transferred the required amount of **₹5 lakhs** on **27.06.2024** via cheque no. **679891** to **UP Jal Nigam** to ensure that the geographical survey could be conducted promptly. This decisive and immediate transfer, overseen by the **Executive Officer**, illustrates the Parishad's proactive stance in ensuring compliance. A copy of the fund transfer confirmation letter dated **27.06.2024** is annexed as **ANNEXURE 7**.

12. That the **Executive Officer** has vigilantly monitored each stage of the compliance process to ensure full adherence to the Hon'ble Tribunal's directives. On **25.06.2024**, a letter was sent to both **UP Jal Nigam** and **Nagar Palika Parishad** authorities, highlighting the importance of establishing proper sewage treatment arrangements in **Pooja Colony** as per the Tribunal's orders in **OA No. 196/2022**. This letter, underscoring the Officer's steadfast dedication to compliance, is annexed as **ANNEXURE 8**.
13. That another letter was sent on **26.06.2024** to the **Chief Engineer, UP Jal Nigam (Urban), Lucknow**, urging them to provide a comprehensive compliance report to the Tribunal, detailing all actions undertaken so far. This report was intended to demonstrate the systematic approach and transparency in addressing the Tribunal's orders. A copy of this letter, referenced **1332/NGT**, is annexed as **ANNEXURE 9**.
14. That in a further commitment to transparency, the **Executive Officer** also issued a letter to the **Executive Engineer, Construction Division (I), UP Jal Nigam**, requesting an explanation for any delays and clarifying the steps being undertaken to fulfill the Hon'ble Tribunal's directives. A copy of this letter is annexed as **ANNEXURE 10**.
15. That on **12.07.2024**, the matter was taken up for hearing by the Hon'ble Tribunal. Following this, on **18.07.2024**, the **Principal Secretary, Urban Development** held a video conference, reiterating the importance of swift compliance. During this meeting, the **Executive Officer** promptly submitted details regarding the funds available under the **15th Finance Commission**, emphasizing the intent to facilitate project execution without financial delays. This meeting highlights the diligent efforts of the Officer and other officials in ensuring immediate and transparent compliance. The minutes of this meeting are annexed as **ANNEXURE A-11**.

16. That to further demonstrate compliance with the **Principal Secretary's** directions, the **Executive Officer** submitted a detailed financial statement on **23.07.2024** via **Letter No. 515/2024-25** to the **Joint Secretary and Principal Secretary**, providing a full account of available funds under the 15th Finance Commission to expedite the project. A copy of this letter is annexed as **ANNEXURE A-12.**
17. That following this, the **Joint Secretary** issued **letter no. 194/NV-5-2024 dated 23.07.2024** to the **District Magistrate (DM) and Executive Officer**, advising immediate legal action per the Tribunal's orders concerning the tied grant. This correspondence underscores the commitment to compliance and coordination. A copy of this communication is annexed as **ANNEXURE A-13.**
18. That in response to a land requirement by **UP Jal Nigam**, the **Executive Officer** allocated **15,000 square meters** on **23.07.2024** for project development. This allocation further attests to the Officer's proactive approach to fulfilling compliance requirements. The EO's letter confirming the land allotment is annexed as **ANNEXURE A-14.**
19. That an urgent meeting of the **15th Finance Commission** was held on **24.07.2024**, where the **District Magistrate** authorized an immediate release of **₹53,63,77,370** to ensure the project's timely execution. The quick release of funds reflects the combined commitment of all authorities to adhere to the Hon'ble Tribunal's directives. A copy of the minutes is annexed as **ANNEXURE A-15.**
20. That on **26.07.2024**, the approved amount of **₹53,63,77,370** was successfully transferred to **UP Jal Nigam** to expedite project-related tasks. A copy of the fund transfer confirmation is annexed as **ANNEXURE A-16.**

21. That, in response to the project's urgency, **UP Jal Nigam** issued an E-tender notice for DPR execution, inviting technical bids scheduled to open on **21.08.2024**. The finalization of the lowest bid will allow project work to proceed towards completion by **20.09.2026**. A copy of the E-tender notice is annexed as **ANNEXURE A-17**.
22. That **Nagar Palika Parishad, Loni** continues to undertake sewage management efforts in **Pooja Colony** using two 5,000-liter tankers, which collect approximately **20,000 liters of sewage daily**. This consistent effort, supervised by the **Executive Officer**, ensures the ongoing protection of public health and environmental welfare. Recent photographic evidence of this process is annexed as **ANNEXURE A-18**.
23. That the **Executive Officer** remains unwaveringly committed to ensuring public health and sanitation, particularly concerning the needs of **Pooja Colony**. The actions and diligent oversight of the **Executive Officer** and other officials reflect a steadfast dedication to maintaining compliance and addressing the Hon'ble Tribunal's directives in full measure. Continuous monitoring and prompt action will be maintained to ensure sustained adherence to all Tribunal orders.

This report is respectfully submitted for the Hon'ble Tribunal's consideration, reaffirming the commitment to fully implementing all environmental mandates and ensuring compliance with the Hon'ble Tribunal's orders.

EXECUTIVE OFFICER , GHAZIABAD

Through:


PRIYANKA SWAMI

ADVOCATE

Counsel for Nagar Palika Parishad, Loni
F-13, JANGPURA, NEW DELHI 110014

E-mail:advpriyankaswami@gmail.com,

M:8800656660

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 196 OF 2022



Hariom Gupta

...Applicant

Versus

Nagar Palika Parishad, Loni & others.

...Respondent

AFFIDAVIT


I, Krishna Kant Mishra, aged about 40 years s/o Sh. Ram Lawat Mishra is presently posted as Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Loni, Uttar Praadesh having an office at Loni, Ghaziabad, Uttar Pradesh.

1. That I am posted as stated above and well conversant with the facts of the present case and as such competent to swear this affidavit before this Tribunal.
2. That the accompanying Compliance report has been drafted by our counsel upon my instructions.
3. That the contents of the accompanying Compliance report are true and correct, and the knowledge has been derived from official records and nothing material has been concealed therefrom.

अधिकासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, लोनी
गजियाबाद
DEPONENT


VERIFICATION

Verified on solemn affirmation at New Delhi on this ____ day of
2024, that the contents of the foregoing affidavit are true and correct to the best of




19
ATTESTED
Mehar Chand Paul
Advocate, Notary
Registration NO 13416
08/11/2024

my knowledge and no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.



By

अधिकासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, **DEFONENT**
गजियाबाद



18
ATTESTED
Mehar Chand Paul
Mehar Chand Paul
Advocate, Notary
Registration NO. 13416
08/11/24

[Signature]

कार्यालय नगर पालिका परिषद लोनी, जनपद-गाजियाबाद

पत्र संख्या :- 1579 / न0पा0परि0लो0गा0 / 2023-24

दिनांक:- 16 जनवरी 2024

सेवा. में,

प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग, अनुभाग-1,
उ0 प्र0 शासन।

विषय:- अमृत 2.0 के अन्तर्गत पूजा कालोनी क्षेत्र की पानी निकासी हेतु सीवरेज ड्रेनेज प्लान तैयार कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया सादर अवगत कराना है कि नगर पालिका परिषद, लोनी, गाजियाबाद जनसंख्या की विशालता के आधार पर प्रदेश की सबसे बड़ी नगर पालिका है, जो लगभग 58.82 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। ज्ञातव्य है कि जनगणना-2011 के अनुसार निकाय की कुल आबादी 5.86 लाख है जबकि वर्तमान में लगभग 10 से 12 लाख आबादी निवास कर रही है, इसका मुख्य कारण यह है कि निकाय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के समीपस्थ है। इस कारण यहाँ अभी भी आधारभूत संरचनाओं का अभाव है। जनपद वागपत से आने वाली बरी ड्रेन का उत्प्रवाह आवास-विकास के क्षेत्र से होकर टीडीएस सिटी, लोनी, गाजियाबाद में आकर भर रहा है। लोनी नगर पालिका के आस-पास के अधिकांश वार्डों में सम्पर्क मार्ग ऊँचे-नीचे एवं कच्चे तथा डूब क्षेत्र होने के कारण निकाय में जलभराव एक गम्भीर समस्या के रूप में विद्यमान है। मानसून में बरसात का घनत्व अधिक होने के कारण एवं नगर पालिका परिषद, लोनी का भौगोलिक स्वरूप जलबहाव के अनुरूप न होने के कारण जल प्लावन की समस्या अधिक है। चूँकि उक्त क्षेत्र यमुना नदी के किनारे स्थित होने के कारण पालिका का क्षेत्र लो-लैण्ड एरिया के अन्तर्गत आता है एवं जल निकासी का कोई मुख्य स्रोत नहीं है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि पूजा कालोनी फ्रीहोल्ड कालोनी, जिसमें छोटे-छोटे मकानों के रूप में निवासी निवास करते हैं, जो घनी आबादी है। यह आबादी लगभग 20 से 25 वर्ष पूर्व में फ्री होल्ड कालोनी दिल्ली सहारनपुर रोड पर स्थित है। इस कालोनी का प्राकृतिक ढाल दिल्ली सहारनपुर रोड से सी-3 सेक्टर सिग्नेचर सिटी (यू.पी.एस.आई.डी.सी.) की ओर है एवं पूजा कालोनी, सी-3 सेक्टर सिग्नेचर सिटी (यू.पी.एस.आई.डी.सी.) से लगभग 01 मीटर से 1.50 मीटर ऊँचाई पर स्थित है तथा पूजा कालोनी की 7 से 8 कालोनियों का पानी, पावी सादकपुर में दिल्ली सहारनपुर रोड के पास स्थित गहरे गड्ढे में भरा रहता है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 196/2022 Hariom Gupta & Ors. Versus Nagar Palika Parishad, & Ors. में पारित आदेश दिनांक 09.01.2024 के मुख्य अंश निम्नवत् है:-

"It may also be observed here that UPPCB cannot be a silent spectator to the violations of the Solid Waste Management Rules 2016 and the Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 and mere issuance of show cause notices without taking of appropriate action on the same or issuance of directions without implementation of the same can not achieve the object of protection of environment. The UPPCB is directed to take action for of environmental compensation and also prosecution of the concerned officers and the contractor alleged to have violated the environmental norms...."

अतः महोदय से सादर अनुरोध है कि अमृत 2.0 के अन्तर्गत पालिका क्षेत्र के पूजा कालोनी की जल निकासी हेतु सीवरेज व ड्रेनेज की डी0पी0आर0 तैयार कराने की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

16.1.24

(कृष्ण कान्त मिश्र)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद लोनी
गाजियाबाद

पत्रांक व दिनांक-तदैव
प्रतिलिपि-

- 1-निदेशक महोदय, स्थानीय निकाय निदेशालय, गोमतीनगर विस्तार, सेक्टर-7, लखनऊ।
- 2-जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
- 3-मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पूजा कालोनी की जल निकासी हेतु सीवरेज व ड्रेनेज का डी.पी.आर. तैयार करने का कष्ट करें, चूँकि प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 196/2022 Hariom Gupta & Ors. Versus Nagar Palika Parishad, & Ors. से सम्बन्धित है; शीघ्रता अपेक्षित है।
- 4-क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आई0एन0एस0-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

16.1.24
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद लोनी
गाजियाबाद

समयबद्ध/महत्वपूर्ण

संख्या:813/नी-5-2024-42रिट/2023

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-राज्य मिशन निदेशक (अमृत), नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।

2-प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक 25 जनवरी, 2024

विषय:-अमृत 2.0 के अन्तर्गत पूजा कालोनी क्षेत्र की पानी निकासी हेतु सीवरेज ड्रेनेज प्लान तैयार कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, लोनी, जनपद-गाजियाबाद के पत्र संख्या-1579/न०पा०परि०लो०गा०/2023-24 दिनांक 16.01.2024 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अमृत 2.0 के अन्तर्गत पूजा कालोनी क्षेत्र की जल निकासी हेतु सीवरेज व ड्रेनेज की डी०पी०आर० तैयार कराये जाने की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, लोनी, जनपद- गाजियाबाद के उक्त पत्र दिनांक 16.01.2024 द्वारा किये गये अनुरोध के कम में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

विषयगत प्रकरण मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समयबद्ध आदेश से आच्छादित है। अतएव शीर्ष प्राथमिकता/व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

संलग्नक:यथोक्त।

संपदीय,
25.01.2024
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।



Q1

AS

AS

AS



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 196/2022, Hariom Gupta & Ors. Vs. Nagar Palika Parishad, Loni & Ors. व अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन में दिनांक 21.06.2024 को नगर पालिका परिषद, लोनी की पूजा कालोनी के किये गये संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 196/2022, Hariom Gupta & Ors. Vs. Nagar Palika Parishad, Loni & Ors. व अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन में दिनांक 21.06.2024 को नगर पालिका परिषद, लोनी की पूजा कालोनी का नगर पालिका परिषद, लोनी, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) व यूनिट-31, सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) के अधिकारियों/अभियन्ताओं द्वारा प्रश्नगत स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया गया है।

निरीक्षण के समय स्थिति निम्नानुसार है :-

1. श्री अरूण प्रताप सिंह, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (प्रथम), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद।
2. श्री अर्जुन सिंह, एस0आर0ई0 यूनिट-31, सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद।
3. श्री शिव कुमार, जूनियर इंजीनियर, निर्माण खण्ड (प्रथम), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद।
4. श्री संजीव कुमार अवाना, मुख्य सफाई एवं खादय निरीक्षक, नगर पालिका परिषद, लोनी, गाजियाबाद।
5. श्री मनोज कुमार, अवर अभियन्ता, नगर पालिका परिषद, लोनी, गाजियाबाद।
6. श्री दिनेश कुमार, सफाई एवं खादय निरीक्षक, नगर पालिका परिषद, लोनी, गाजियाबाद।

निरीक्षण आख्या :-

निरीक्षण के समय श्री मनोज कुमार, अवर अभियन्ता, नगर पालिका परिषद, लोनी, गाजियाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि निकाय क्षेत्र में स्थित पूजा कालोनी के लगभग 4 से 5 किमी0 क्षेत्र का घरेलू श्राव नालियों के माध्यम से निस्तारित होकर दिल्ली सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे पर लगभग 100 मीटर की लम्बाई में भरा रहता है। निरीक्षण के समय समिति द्वारा यह भी अभिमत दिया गया है कि पूजा कालोनी की जल निकासी हेतु सीवरेज एवं ड्रेनेज व्यवस्था के उपयुक्त विकल्प के निर्धारण हेतु उक्त क्षेत्र का सर्वप्रथम भौगोलिक सर्वेक्षण किया जाना आवश्यक है। भौगोलिक सर्वेक्षण के उपरान्त ही पूजा कालोनी क्षेत्र के जल निकासी हेतु आवश्यक कार्य योजना तैयार की जा सकेगी।

नगर पालिका परिषद, लोनी के उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा भौगोलिक सर्वेक्षण हेतु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (प्रथम), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद से आग्रह किया गया है, जिस पर अधिशासी अभियन्ता महोदय द्वारा उक्त क्षेत्र के भौगोलिक सर्वेक्षण हेतु होने वाली व्यय के मद में अग्रिम धनराशि के रूप में रू0 05.00 लाख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है, जिस पर निकाय के उपस्थित कर्मचारियों द्वारा सहमति व्यक्त की


सफाई एवं खादय निरीक्षक
नगर पालिका परिषद लोनी
गाजियाबाद


अवर अभियन्ता
नगर पालिका परिषद लोनी
गाजियाबाद


मुख्य सफाई एवं खादय निरीक्षक
नगर पालिका परिषद लोनी
गाजियाबाद


2-E
U.P. 211(1)
Ghazipur


गयी है। निकाय द्वारा उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) को भौगोलिक सर्वेक्षण हेतु उक्त वांछित अग्रिम धनराशि उपलब्ध कराने के उपरान्त सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा। सर्वेक्षण कार्य में लगभग 02 सप्ताह का समय लगेगा जिसके उपरान्त पूजा कालोनी की जल निकासी हेतु उपयुक्त विकल्प का निर्धारण कर विस्तृत कार्य योजना तैयार किये जाने की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।



दिनेश कुमार
सफाई एवं खादय निरीक्षक,
नगर पालिका परिषद, लोनी,
गाजियाबाद



मनोज कुमार,
अवर अभियन्ता,
नगर पालिका परिषद, लोनी,
गाजियाबाद।


संजीव कुमार अर्वाणा,
मुख्य सफाई एवं खादय निरीक्षक,
नगर पालिका परिषद, लोनी,
गाजियाबाद।


शिव कुमार,
जूनियर इंजीनियर,
निर्माण खण्ड (प्रथम), उ0प्र0 जल
निगम (नगरीय), गाजियाबाद


अर्जुन सिंह,
एस0आर0ई0 यूनिट-31, सी0 एण्ड
डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम
(नगरीय), गाजियाबाद


अरुण प्रताप सिंह,
अधिसासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड (प्रथम), उ0प्र0 जल
निगम (नगरीय), गाजियाबाद


अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, लोनी
गाजियाबाद

कार्यालय नगर पालिका परिषद, लोनी (गाजियाबाद)

पत्रांक सं०: १४) / न०पा०परि०लो० / 2024-25

दिनांक: २२ जून 2024

सेवा में,

अधिसासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड (प्रथम),
उ०प्र० जल निगम (नगरीय),
गाजियाबाद।

विषय: माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में 'योजित ओ०ए० संख्या 196/2022 हरिओम गुप्ता एवं अन्य बनाम नगर पालिका परिषद लोनी एवं अन्य में पारित आदेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आप अवगत ही है कि दिनांक 21.06.2024 को नगर पालिका परिषद, लोनी क्षेत्रान्तर्गत पूजा कालोनी का निकाय, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) व यूनिट-31 सी० एण्ड डी० एस०, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) के अधिकारियों/अभियन्ताओं द्वारा प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण किया गया है, निरीक्षण आख्या द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण में भौगोलिक सर्वेक्षण के उपरान्त ही पूजा कालोनी क्षेत्र के जल निकासी हेतु आवश्यक कार्य योजना तैयार की जा सकेगी, जिसके क्रम में क्षेत्र के भौगोलिक सर्वेक्षण हेतु होने वाले व्यय के मद में अग्रिम धनराशि के रूप में ₹० 5.00 लाख आपके विभाग को उपलब्ध कराये जाने है।

उक्त के क्रम में निकाय द्वारा पूजा कालोनी क्षेत्र के भौगोलिक सर्वेक्षण हेतु होने वाले व्यय के मद में अग्रिम धनराशि के रूप में ₹० 5.00 लाख आपके विभाग को स्थानान्तरित की जानी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त धनराशि आपके विभाग को स्थानान्तरित करने हेतु मांग पत्र मय बैंक विवरण सहित इस निकाय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे उक्त धनराशि आपके विभाग को तत्काल स्थानान्तरित की जा सके। चूँकि प्रकरण मा० एन०जी०टी० से आच्छादित है, शीघ्रता प्रार्थनीय है।



(कृष्ण कान्त मिश्र)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, लोनी
गाजियाबाद

पत्रांक व दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1-अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)/ व०प्र०अधि०स्था०नि० महोदय, गाजियाबाद।

2-उपजिलाधिकारी महोदय, लोनी।

अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, लोनी
गाजियाबाद



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड (प्रथम), उ०प्र० जल निगम (नगरीय),
सी-९, सै०-१, आर०डी०सी०, राजनगर, गाजियाबाद 201 001

☎ 0120-2820420
E-mail Id:- pncupija@gmail.com

पत्रांक 763 / V-2 / 15 दिनांक 24-06-2024

सेवा में,
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
लोनी, जनपद गाजियाबाद।

विषय:- मानीनय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 196/2022 हरिओम गुप्ता एवं अन्य बनाम नगर पालिका परिषद लोनी एवं अन्य में पारित आदेश के सम्बन्ध में।

महोदय,
उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्रांक 281/न०पा०परि०लो०/2024-25 दिनांक 22.06.2024 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि दिनांक 21.06.2024 को नगर पालिका परिषद लोनी क्षेत्रान्तर्गत पूजा कालोनी की जकल निकासी की समस्या के निराकरण हेतु नगर पालिका परिषद, लोनी के अधिकारी/कर्मचारी तथा यूनिट-31, सी०एण्डडी०एस० एवं उ०प्र० जल निगम (नगरीय) के अभियन्ताओं द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्यस्थल पर उपस्थित समस्त विभागीय अभियन्ताओं की सर्वसम्मति से सर्वप्रथम जल निकासी की समस्या के निराकरण हेतु प्रश्नगत क्षेत्र का भौगोलिक सर्वेक्षण किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रश्नगत क्षेत्र के सर्वेक्षण कार्य हेतु धनराशि रू० 5.00 लाख उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है।

अतः उपरोक्त कार्य को कराये जाने हेतु अग्रिम धनराशि के रूप में रू० 5.00 लाख इस खण्ड को निम्नलिखित खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करें, जिससे की सर्वेक्षण कार्य को शीघ्र पूर्ण कर समस्या के निराकरण हेतु अग्रिम निर्णय लिया जा सके। सुलभ सन्दर्भ हेतु बैंक पास बुक की छायाप्रति संलग्न है।

क्र०सं०	बैंक का नाम	शाखा का नाम	खाता सं०	आई०एफ०एस०सी० कोड
1	आई०डी०वी०आई० बैंक	राजनगर, गाजियाबाद	0066104000253857	IBKL0000066

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार

भवदीय

(अरुण प्रताप सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. श्री संजय कुमार, सहायक अभियन्ता/श्री शिव कुमार, जूनियर इंजीनियर।
2. खण्डीय लेखाकार/कैशियर।

[Handwritten signatures]

अधिशासी अभियन्ता
नगर पालिका परिषद लोनी

अधिशासी अभियन्ता

Account Statement for the period 27/06/2024 to 28/06/2024

Account Number	00000038690025266	Branch	LONI, GHAZIABAD
Address	NAGAR PALIKA PARISHAD, LONI GZB, GHAZIABAD, Ghaziabad GHAZIABAD-NOIDA UTTAR PRADESH-201102 IN	Account Type	REGULAR SB CHQ-ENTITIES
Account Name	NAGAR PALIKA PARISAD	MOD Balance	0.00
Drawing Power	0.00	Interest Rate(% p.a.)	2.7
Balance as on 27/06/2024	3,03,42,487.48		

Date (Value Date)	Narration	Ref/Cheque No.	Branch Code	Debit	Credit	Balance
27-Jun-24 (27-Jun-2024)	BY TRANSFER INB CPADXMRNJ1 URBAN_GOV STLMNT TXN-	CPADXMRNJ1CG0BYDHEC1 TRANSFER FROM 37236685743 UTTAR PRADESH STATE GO	99922		760.00	3,03,43,247.48
27-Jun-24 (27-Jun-2024)	CASH DEPOSIT CASH DEPOSIT SELF		2408		64,394.00	3,04,07,641.48
27-Jun-24 (27-Jun-2024)	CHQ TRANSFER NEFT UTR NO: SBIN124179644105 679891 MS OFFICE OF THE E E CONST DIV 1 UP	679891 MS OFFICE OF THE E E CONST DIV 1 UP	2408	5,00,000.00		2,99,07,641.48

**This is a computer generated statement and does not require a signature.

[Print](#) [Back](#)



Annuxure-8

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE GHAZIABAD

फोन नम्बर (0120) 2821616, 2820106, 2828798 (फैक्स)

संख्या- 239 / एस0टी0-डी0एम0 / 2024
2024

दिनांक- 25 जून,

अधिकाशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड(प्रथम),
उत्तर प्रदेश जल निगम(नगरीय),
गाजियाबाद

विषय :- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0संख्या-196/2022, हरि ओम गुप्ता एवं अन्य बनाम नगर पालिका परिषद लोनी एवं अन्य में पारित आदेश के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या- 196/2022, हरि ओम गुप्ता एवं अन्य बनाम नगर पालिका परिषद एवं अन्य में दिनांक 09-01-2024 को आदेश पारित करने के उपरान्त अधिकाशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद लोनी ने पत्र संख्या-1579/न0पा0परि0लो0गा0बाद/2023-24 दिनांक 16 जनवरी, 2024 के द्वारा मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ पत्र प्रेषित किया गया कि नगर पालिका परिषद लोनी के क्षेत्रान्तर्गत पूजा कालौनी जो फ्रीहोल्ड कालौनी है, जिसमें छोटे छोटे मकानों के रूप में निवासी निवास करते हैं, जो घनी आबादी है। यह आबादी लगभग 20 से 25 वर्ष पूर्व में फ्री होल्ड कालौनी दिल्ली सहारनपुर रोड पर स्थित है। इस कालौनी का प्राकृतिक ढाल दिल्ली सहारनपुर रोड से सी-3 सैक्टर सिग्नेचर सिटी(यू0पी0एस0आई0डी0सी0)की ओर है एवं पूजा कालौनी सी-3 सैक्टर सिग्नेचर सिटी से लगभग 01 मीटर से 1.50 मीटर ऊंचाई पर स्थित है तथा पूजा कालौनी की 07 से 08 कालोनियों का पानी, पावी सादिकपुर में दिल्ली सहारनपुर रोड के पास स्थित गहरे गडदे में भरा रहता है। पत्र में अनुरोध किया गया कि पूजा कालौनी की जल निकासी हेतु सीवरेज व ड्रेनेज का डी0पी0आर0 तैयार करने का कष्ट करें ताकि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित वाद में अपेक्षित उत्तर दाखिल कराया जा सकें।

इसके उपरान्त मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या- 196/2022, हरि ओम गुप्ता एवं अन्य बनाम नगर पालिका परिषद एवं अन्य में दिनांक 19-01-2024 को पारित आदेश के क्रम में उत्तर प्रदेश जल निगम(नगरीय) की ओर से उत्तर भी दाखिल किया गया (छायाप्रति संलग्न)।

अधिकाशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद लोनी ने पत्र संख्या- 281/न0पा0परि0 लोनी दिनांक 22-06-2024 के द्वारा आपको अवगत कराया गया कि दिनांक 21-06-2024 को नगर पालिका परिषद लोनी क्षेत्रान्तर्गत पूजा कालौनी का निरीक्षण उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) व यूनिट-31 सी0एण्ड0डी0 एस0 के अधिकारियों/अभियन्ताओं द्वारा किया गया। निरीक्षण आख्या मे



अवगत कराया गया कि प्रश्नगत स्थल का भौगोलिक सर्वेक्षण के उपरान्त ही पूजा कालोनी क्षेत्र के जल निकासी हेतु योजना तैयार की जा सकेगी जिस पर रूपये 05.00 लाख का व्यय होगा। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद लोनी द्वारा उपरोक्त धनराशि को स्थानान्तरित करने हेतु मांग पत्र मय बैंक विवरण सहित उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया, परन्तु अभी तक आपके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली से आच्छादित है जिसमें दिनांक 02-07-2024 की तिथि नियत है। अतः आप नगर पालिका परिषद लोनी के क्षेत्रान्तर्गत पूजा कालोनी के भौगोलिक सर्वेक्षण एवं डी0पी0आर0 की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में तत्काल/आज ही अवगत करायें ताकि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जा सकें।
संलग्न :- यथोपरि।

(इन्द्र विक्रम सिंह),
जिलाधिकारी,
गाजियाबाद

प्रतिलिपि :-

मुख्य अभियन्ता, 'उत्तर प्रदेश जल निगम(नगरीय) गाजियाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (गा०क्षेत्र),
उ० प्र० जलनिगम (नगरीय),
सै०-१ राजनगर, गाजियाबाद- 201002
E- Mail ID : zce_gzb_upjn@yahoo.co.in

पत्रांक : 1332 / NGT

दिनांक: 26/06/24

सेवामें,

मुख्य अभियन्ता (नागर),
उ० प्र० जलनिगम (नगरीय),
लखनऊ।

विशय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित एम० ए० संख्या-38/2023 in ओ० ए० संख्या-196/2022, Hariom Gupta & Ors. Vs. Nagar Palika Parishad, Loni & Ors. व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.04.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित एम० ए० संख्या-38-2023 in ओ० ए० संख्या-196/2022, Hariom Gupta & Ors. Vs. Nagar Palika Parishad, Loni & Ors. व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.04.2024 की वांछित अनुपालन आख्या इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

Hanley 26.06.24

(आर०के० पंकज)
मुख्य अभियन्ता (गा० क्षेत्र)

पू० सं० एवं दिनांक -उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (नागर), उ० प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उ० प्र० जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (प्रथम), उ० प्र० जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद।
5. परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-31, सी० एण्ड डी० एस०, उ० प्र० जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद।
6. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, लोनी।

मुख्य अभियन्ता (गा० क्षेत्र)



Annexure-10

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE GHAZIABAD
 फोन नम्बर (0120) 2821616, 2820106, 2828798 (फैक्स)

संख्या- २५ / एस०टी०-डी०एम० / 2024

दिनांक- 28 जून, 2024

श्री अरुण प्रताप सिंह,
 अधिशासी अभियन्ता,
 निर्माण खण्ड-प्रथम,
 उत्तर प्रदेश जल निगम(नगरीय),
 गाजियाबाद

विषय :- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-196/2022, हरिओम गुप्ता एवं अन्य बनाम नगर पालिका परिषद लोनी एवं अन्य में पारित आदेश के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक कार्यालय के पत्र संख्या-239/एस०टी०-डी०एम०/2024 दिनांक 25 जून, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करें जो मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-196/2022, हरिओम गुप्ता एवं अन्य बनाम नगर पालिका परिषद लोनी एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में है।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित उपरोक्त ओ०ए० संख्या के अनुपालन में उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) के अधिकारियों द्वारा दिनांक 01-04-2024 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरान्त आपके स्तर से मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश का अनुपालन समय से कराये जाने हेतु कोई त्वरित कार्यवाही नहीं की गयी जबकि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए बार-बार योजित ओ०ए० संख्या में कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित कर अवगत कराये जाने के निर्देश दिये गये।

इसके उपरान्त दिनांक 21-06-2024 को उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) एवं यूनिट-31 सी०एण्ड०डी०एस० के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण के उपरान्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद लोनी को अवगत कराया गया कि प्रकरण में भौगोलिक सर्वेक्षण के उपरान्त ही पूजा कालौनी क्षेत्र के जल निकासी हेतु तैयार की जा सकेगी जिस पर 05.00 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है।


अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद लोनी द्वारा प्रश्नगत प्रकरण की महत्ता को दृष्टिगत रखे हुए दिनांक 22-06-2024 को ही उपरोक्त धनराशि को स्थानान्तरित कराये जाने हेतु मांग पत्र बैंक विवरण सहित उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। आप द्वारा दिनांक 24-06-2024 को मांग पत्र प्रेषित किया गया जिस पर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद लोनी द्वारा दिनांक 28-06-2024 को अंकन धनराशि 05.00 लाख रुपये स्थानान्तरित कर दिये गये।

इस प्रकार मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के उपरोक्त प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 15-01-2024, 19-01-2024 एवं 03-04-2024 का अनुपालन कराये जाने में आपके



स्तर से लापरवाही एवं उदासीनता बरती गयी। अतः आप उपरोक्त के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं पर अपना स्पष्टीकरण तत्काल अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें :-

- 1- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न तिथियों में पारित आदेश का अनुपालन कराये जाने में विलम्ब का कारण स्पष्ट करें।
- 2- दिनांक 01-04-2024 को प्रश्नगत प्रकरण का सर्वेक्षण करने के उपरान्त प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए उसी दौरान धनराशि की मांग किन कारणों से नहीं की गयी।
- 3- आपके स्तर पर बरती गयी लापरवाही के कारण ही मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में समय से अनुपालन आख्या दाखिल नहीं की जा सकी, जिस पर बार बार मा0 अधिकरण द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी।
- 4- आप द्वारा पत्र संख्या- 138/कार्य दिनांक 04-02-2024 का उल्लेख अपने उत्तर में अंकित किया है, जिसमें अवगत कराया गया है कि सम्बन्धित पत्र अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, लोनी को प्रेषित करते हुए प्रति अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित की है, जिसमें अंकन धनराशि बीस लाख रुपये पानी निकासी एवं सीवरेज व्यवस्था हेतु उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। उक्त पत्र के अवलोकन से स्पष्ट हुआ है कि सम्बन्धित पत्र न तो नगर पालिका परिषद लोनी में प्राप्त हुआ है और न ही अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्राप्त हुआ है। अतः आप स्पष्ट करें कि उपरोक्त पत्र कब प्राप्त कराया गया।


 (इन्द्र विक्रम सिंह),
 जिलाधिकारी,
 गाजियाबाद

समय परिवर्तन/ बैठक/ वीडियो कान्फ्रेंसिंग
दिनांक 18.07.2024 को पूर्वान्ह 11:00 से 11:30 बजे
संख्या: एन0जी0टी0-176(1)/नौ-5-2024-02रिट/2024

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1-निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
- 2-राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय), नगरीय निकाय निदेशालय।
- 3-प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
- 4-संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
- 5-जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
- 6-नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
- 7-मुख्य अभियन्ता (गाजियाबाद क्षेत्र), उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद।
- 8-अधिसासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, (लोनी) लोनी गाजियाबाद,
खोड़ा मकनपुर (गाजियाबाद)।
- 9-अधिसासी अधिकारी, नगर पंचायत, फरीदनगर, जनपद-गाजियाबाद।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ:दिनांक: 17 जुलाई, 2024

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में योजित विभिन्न वादों पारित आदेशों के अनुपालन में विचार-विमर्श हेतु आयोजित समीक्षा बैठक/वीडियो कान्फ्रेंसिंग में प्रतिभाग किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन द्वारा पूर्व में प्रेषित पत्र संख्या-एन0जी0टी0-176/नौ-5-2024-02रिट/2024 दिनांक 12.07.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में योजित निम्नलिखित वादों पारित आदेशों के अनुपालन में विचार-विमर्श हेतु प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 18.07.2024 को अपरान्ह 01:00 से 02:00 बजे के मध्य बापू भवन स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित बैठक/वीडियो कान्फ्रेंसिंग में प्रतिभाग किये जाने की सूचना दी गयी थी, अपरिहार्य कारणोंवश उक्त बैठक/वीडियो कान्फ्रेंसिंग के समय में परिवर्तन करते हुए अब दिनांक 18.07.2024 को ही पूर्वान्ह 11:00 से 11:30 के मध्य आयोजित की जायेगी:-

क्र0सं0	वाद संख्या का विवरण	पारित आदेश	अगली सुनवाई
1.	मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित एम0ए0 संख्या-38/2023 in ओ0ए0 संख्या-196/2022, Hariom Gupta & Ors. Vs. Nagar Palika Parishad, Loni & Ors. व अन्य।	पारित आदेश दिनांक 02.07.2024	दिनांक 12.07.2024
2.	मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या-710/2023 Sushil Raghav Vs. State of Uttar Pradesh & Ors.	पारित आदेश दिनांक 18.04.2024	दिनांक 24.07.2024
3.	मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-06/2012 निजामुद्दीन वेस्ट एसोसिएशन बनाम यूनिशन ऑफ इण्डिया व अन्य।	पारित आदेश दिनांक 04.07.2024	दिनांक 02.08.2024

4.	मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-274/2022 Prem Aggarwal & Ors Govt. of NCT of Delhi & Ors.	पारित आदेश दिनांक 30.04.2024	दिनांक 08.08.2024
5.	मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-1002/2018 अभिष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य।	पारित आदेश दिनांक 20.03.2024, 01.05.2024	दिनांक 12.08.2024
6.	मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-877/2022, Paryavaran Mitra Vs State of Uttar Pradesh व अन्य।	पारित आदेश दिनांक 07.05.2024	दिनांक 23.08.2024
7.	Execution Application No.33/2021 In O.A No-68/2021 Sushil Raghav Vs. State of Uttar Pradesh & Ors.	पारित आदेश दिनांक 16.05.2024	दिनांक 02.09.2024

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त आयोजित बैठक/वीडियो कान्फ्रेंसिंग में समस्त सुसंगत सूचनाओं सहित प्रतिभाग करने के साथ ही बैठक के उपयोगार्थ सूचना शासन को दिनांक 15.07.2024 तक नगर विकास अनुभाग-5 की ई-मेल so.nagar.05@gmail.com पर उपलब्ध करने का कष्ट करें।

उक्त बैठक में लखनऊ मुख्यालय के अधिकारीगण भौतिक रूप से तथा लखनऊ से बाहर के अधिकारीगण वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया जाना है। बैठक का लिंक निम्नवत् है:-

<https://meet.google.com/fsu-xgzc-vnx>

सुवदीय
16.07.2024

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव महोदय के अवगतार्थ प्रेषित।
- 2-श्री अतुल भारती, विधिक सहायक, पी0एम0यू0, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 3-सुश्री प्रांजलि त्रिपाठी, पी0एम0यू0, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,
16.07.2024

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

कार्यालय नगर पालिका परिषद, लोनी (गाजियाबाद)

पत्रांक सं०- 515 / न०पा०परि०लो० / 2024-25

दिनांक- 23 जुलाई 2024

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
नगर विकास अनुभाग-5,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-38/2023 एवं 196/2022 हरिओम गुप्ता एवं अन्य बनाम नगर पालिका परिषद, लोनी एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में नगर पालिका परिषद, लोनी-गाजियाबाद की पूजा कालोनी हेतु प्रस्तावित लोनी सीवरेज योजना (वार्ड-48 पूजा कालोनी) की डी०पी०आर० अनुमानित लागत रू० 7083.95 लाख के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (प्रथम) उ०प्र० जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद के पत्र सं०-889/एन.जी.टी.ओ.ए. संख्या-196/2022/03 दिनांक 22.07.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में मा० राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-38/2023 एवं 196/2022 हरिओम गुप्ता एवं अन्य बनाम नगर पालिका परिषद, लोनी एवं अन्य में नगर पालिका परिषद, लोनी क्षेत्रान्तर्गत स्थापित पूजा कालोनी की सीवरेज की समस्या के निवारण हेतु पूजा कालोनी में सीवर लाईन बिछाये जाने की डी.पी.आर. (लोनी सीवरेज योजना (वार्ड-48 पूजा कालोनी)) मुख्य अभियन्ता (गा० क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद से मूल्यांकन उपरान्त अनुमानित लागत रू० 7063.95 लाख तैयार कर प्रस्तुत की गयी है।

उक्त के क्रम में सादर अवगत कराना है कि निकाय को 15वां वित्त आयोग के अन्तर्गत निर्दिष्ट अनुदान (Tied Grant) व बुनियादी अनुदान (Untied Grant) के रूप में समय-समय पर धनराशि प्राप्त हुई है, जिसके सापेक्ष निकाय द्वारा निविदा की प्रक्रिया नहीं की गयी है, जो निकाय के खाता में अवशेष है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

1- बुनियादी अनुदान (Untied Grant)

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	अनुदान विवरण	अवशेष धनराशि
01	2023-24	8/4290/320(3)/15वें वि०आ०/2023-24 दिनांक: 21 फरवरी 2024, प्रथम किश्त	08,57,48,499.00
02	2023-24	8/4470/320(3)/15वें वि०आ०/2023-24 दिनांक: 16 मार्च 2024, द्वितीय किश्त	08,57,48,499.00
योग			17,14,96,998.00

उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि शासनादेशानुसार बुनियादी अनुदान (Untied Grant) का उपयोग जलापूर्ति, सीवरेज तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, सेप्टेज प्रबन्धन सहित स्वच्छता, जल निकासी, सामुदायिक परिसम्पत्तियों का रख-रखाव, सड़कों, फुटपाथों एवं स्टीट लाईट तथा कब्रिस्तान और शमशानों का रख-रखाव में किये जाने के निर्देश प्राप्त हैं।

2- निर्दिष्ट अनुदान (Tied Grant)

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	अनुदान विवरण	अवशेष धनराशि
01	2021-22	8/2215/320(2)/15वें वि०आ०/2021-22 दिनांक 27 मई 2022, द्वितीय किश्त	05,42,58,000.00
02	2022-23	8/3009/320(2)/15वें वि०आ०/2022-23 दिनांक 28 मार्च 2023, प्रथम किश्त	11,23,80,702.00
03	2022-23	8/3548/320(3)/15वें वि०आ०/2022-23 दिनांक 12 सितम्बर 2023, द्वितीय किश्त	11,24,93,166.00
04	2023-24	8/4291/320(2)/15वें वि०आ०/2023-24 दिनांक 21 फरवरी 2024, प्रथम किश्त	12,86,22,751.00
05	2023-24	8/4469/320(3)/15वें वि०आ०/2023-24 दिनांक 16 मार्च 2024, द्वितीय किश्त	12,86,22,751.00
योग			53,63,77,370.00
कुल योग(1+2)			70,78,74,368.00

तरकाल

श्री अरुण

23.07.2024

-2-

उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि शासनादेशानुसार निर्दिष्ट अनुदान (Tied Grant) का उपयोग जलापूर्ति, सीवरेज तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, सेप्टेज प्रबन्धन सहित स्वच्छता में किये जाने के निर्देश प्राप्त है।

उक्त के क्रम में यह भी अवगत कराना है कि प्रमुख सचिव महोदय, उ०प्र० शासन, लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक 18 जुलाई 2024 को आहूत बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह निर्देश दिये गये हैं कि उपरोक्त में जो भी धनराशि व्यय होगी, उसे निकाय द्वारा ही वहन किया जायेगा।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत निकाय को निर्दिष्ट अनुदान (Tied Grant) व बुनियादी अनुदान (Untied Grant) में कुल धनराशि अंकन-70,78,74,368.00 रुपये का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव स्वीकृति हेतु महोदय की सेवा में सूचनार्थ सादर प्रेषित।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

23/7/24

(कृष्णकान्त मिश्र)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद् लोनी,
गाजियाबाद

पत्रांक व दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

- 1-प्रमुख सचिव महोदय, नगर विकास विभाग, लखनऊ।
- 2-निदेशक महोदय, स्थानीय निकाय निदेशक, गोमतीनगर विस्तार, से०-7, लखनऊ।
- 3-महाप्रबंधक महोदय, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
- 4-जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद।
- 5-अधिसासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (प्रथम) उ०प्र० जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद के पत्र सं०-889/एन. जी.टी.ओ.ए. संख्या-196/2022/03 दिनांक 22.07.2024 के क्रम में।

अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद् लोनी,
गाजियाबाद

समयबद्ध / महत्वपूर्ण

संख्या:एन0जी0टी0-194 / नौ-5-2024-42रिट / 2023

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2-अधिकासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, लोनी, जनपद-गाजियाबाद।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक 23 जुलाई, 2024

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित एम0ए0 संख्या-38/2023 in ओ0ए0 संख्या-196/2022, Hariom Gupta & Ors. Vs. Nagar Palika Parishad, Loni & Ors. व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.07.2024 पर अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिकासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, लोनी, जनपद-गाजियाबाद के पत्र संख्या-515/न0पा0परि0लो0/2024-25 दिनांक 23.07.2024 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित एम0ए0 संख्या-38/2023 in ओ0ए0 संख्या-196/2022, Hariom Gupta & Ors. Vs. Nagar Palika Parishad, Loni & Ors. व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.07.2024 के अनुपालन में नगर पालिका परिषद, लोनी, जनपद-गाजियाबाद में लोनी सीवरेज योजना (वार्ड-44 पूजा कालोनी) हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) द्वारा तैयार किये गये आगणन अनुमानित लागत रू0 7063.75 लाख की धनराशि नगर पालिका परिषद, लोनी, जनपद-गाजियाबाद को निर्दिष्ट अनुदान (Tied Grant) व बुनियादी अनुदान (Untied Grant) में उपलब्ध कुल धनराशि रू0 70,78,74,368.00 से कराये जाने के प्रस्ताव पर अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि मा0 एन0जी0टी0 के उक्त आदेश पर अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 18.07.2024 को सम्पन्न बैठक में विषयगत परियोजना का वित्तीय वहन नगर पालिका परिषद, लोनी, जनपद-गाजियाबाद के निर्दिष्ट अनुदान (Tied Grant) व बुनियादी अनुदान (Untied Grant) में उपलब्ध धनराशि से नियमानुसार कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

3- अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित एम0ए0 संख्या-38/2023 in ओ0ए0 संख्या-196/2022, Hariom Gupta & Ors. Vs. Nagar Palika Parishad, Loni & Ors. व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.07.2024 के अनुपालन में नगर पालिका परिषद, लोनी, जनपद-गाजियाबाद में लोनी सीवरेज योजना (वार्ड-44 पूजा कालोनी) हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) द्वारा तैयार किये गये आगणन अनुमानित लागत रू0 7063.75 लाख की धनराशि नगर पालिका परिषद, लोनी, जनपद-गाजियाबाद को निर्दिष्ट अनुदान (Tied Grant) व बुनियादी अनुदान (Untied Grant) में उपलब्ध धनराशि से नियमानुसार कराने का कष्ट करें।

उल्लेखनीय है कि विषयगत प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समयबद्ध आदेश से आच्छादित है। अतएव व्यक्तिगत ध्यान/शीर्ष प्राथमिकता अपेक्षित है।

संलग्नक:यथोक्त।

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
- 2-निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
- 3-मुख्य अभियन्ता (गाजियाबाद क्षेत्र), उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद।

(आज्ञा से)
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

950 कार्यालय नगरपालिका परिषद, लोनी गाजियाबाद

पत्रांक संख्या- 518 / न0पा0प0 / प्रस्ताव / 2024-25

दिनांक- 23 जुलाई, 2024

सेवा में,

अधिकाशासी अभियंता

निर्माण खण्ड (प्रथम),

उ0प्र0 जल निगम(नगरीय)

सी-9, सै0-1, आर0डी0सी0, राजनगर गाजियाबाद-201001

विषय:-प्रस्तावित आई0पी0एस0 के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक-875/कार्य-20/33 दिनांक 12.07.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में दायर याचिका संख्या-196/2022 में पारित आदेशों के अनुपालन में तथा संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन लखनऊ के पत्र सं0 एन0जी0टी0-176(1)/नौ-5-2024-42 रिट/2023 नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 12.07.2024 द्वारा निकाय क्षेत्र की पूजा कालोनी में सीवरेज निकासी हेतु सीवर लाइन बिछाये जाने व पम्पिंग स्टेशन इत्यादि निर्माण कार्यों की डी0पी0आर0 विचरन शीघ्रअतिशीघ्र प्राथमिकता पर किया जाना है, जिसके क्रम में प्रश्नगत क्षेत्र में सीवेज के निस्तारण हेतु प्रस्तावित आई0पी0एस0 के निर्माण हेतु लगभग 1500 वर्ग मीटर भूमि की मांग की गयी है।

उक्त के क्रम में तहसील लोनी द्वारा ग्राम लोनी (चकबन्दी बाहर) के खसरा नं0-273/4, क्षेत्रफल-0.5950 है0 राजस्व अभिलेख खतौनी के खाता संख्या-4124 पर श्रेणी-5-3-ड बंजर (सरकारी भूमि) दर्ज है, मौके पर खाली है, जिसमें से 0.2000 है0 भूमि गढी कटैया शमशान घाट हेतु प्रस्ताव भेजा गया है एवं उक्त गाटे में से 1500 वर्ग मीटर भूमि आई0पी0एस0 के निर्माण हेतु उपयुक्त है, जिसका नजरी नक्शा व नकल खतौनी संलग्न है एवं उक्त खसरा संख्या-273/4 में 0.2450 है0 भूमि अवशेष है, जो मौके पर खाली है। ग्राम लोनी (चकबन्दी बाहर) खसरा नम्बर-273/4 रकबा 0.5950 है0 में से 1500 वर्ग मीटर भूमि का प्रस्ताव आई0पी0एस0 के निर्माण हेतु संस्तुति सहित प्रेषित है। जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र0सं0	योजना	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	कुल क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल में से प्रस्तावित भूमि	अन्य विवरण
1	प्रस्तावित आई0पी0एस0 का निर्माण	ग्राम लोनी (चकबन्दी बाहर)	273/4	0.5950 है0	1500 वर्ग मीटर	उक्त भूमि खुशहाल पार्क लोनी में स्थित है। जो राजस्व अभिलेखों में बंजर दर्ज है तथा मौके पर 0.2450 है0 भूमि अवशेष है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

23/7/24

(कृष्ण कान्त मिश्र)

अधिकाशासी अधिकारी

नगर पालिका परिषद लोनी

गाजियाबाद

पत्रांक एवं दिनांक-तदैव।प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

अधिकाशासी अधिकारी

नगर पालिका परिषद लोनी

गाजियाबाद

संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त मा0 राष्ट्र. हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित एम0ए0 संख्या-38/2023 एवं ओ0ए0 संख्या-196/2022 हरिओम गुप्ता बनाम नगर पालिका परिषद लोनी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.07.2024 के अनुपालन में
बाई-सर्कुलेट स्वीकृति

आज दिनांक 24.07.2024 को संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित एम0ए0 संख्या-38/2023 एवं ओ0ए0 संख्या-196/2022 हरिओम गुप्ता बनाम नगर पालिका परिषद लोनी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.07.2024 के अनुपालन में 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद लोनी में प्राप्त/उपलब्ध धनराशि से कराये जाने वाले विकास कार्यों के आगणन की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति हेतु जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति की स्वीकृति बिना बैठक आहुत किये बाई-सर्कुलेट आधार पर की गई, क्योंकि प्रकरण में एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा अगली सुनवाई की तिथि 31.07.2024 निर्धारित की गयी है।

2- संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित एम0ए0 संख्या-38/2023 एवं ओ0ए0 संख्या-196/2022 हरिओम गुप्ता बनाम नगर पालिका परिषद लोनी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.07.2024 के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2021-22 द्वितीय किश्त, वर्ष 2022-23 प्रथम किश्त व द्वितीय किश्त, वर्ष 2023-24 प्रथम एवं द्वितीय किश्त में 15 वें वित्त आयोग के अंतर्गत निर्दिष्ट (Tied Grant) अनुदान की अवशेष धनराशि के रूप में नगर पालिका परिषद-लोनी को प्राप्त/अवशेष धनराशि अंकन रूपये-53,63,77,370/-से कराये जाने वाले कार्य का अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद-लोनी द्वारा प्रेषित प्रस्ताव संख्या:-521/15वाँ वित्त का0यो0/न0पा0प0लोनी /2024 दिनांक:-23 जुलाई 2024, उत्तर प्रदेश शासन के नगर विकास अनुभाग-9 के पत्र संख्या-714ए/नौ-9-7-99-1बी/99 दिनांक 12.03.1999, पत्र संख्या-2719/नौ-9-2005 दिनांक 16.08.2005 पत्र संख्या:-710/नौ-9-2008-199 ज/2007 दिनांक 27.02.2008, पत्र संख्या-1306/नौ-9-10-199ज/2006 दिनांक 18.06.2010, पत्र संख्या-1359/नौ-9-12-199ज/2006 दिनांक 10.9.2012, पत्र संख्या-1359/नौ-9-12-199ज/2006 दिनांक 21.09.2012, पत्र संख्या-381/नौ-9.16.193ज/13 दिनांक 04.03.2016 एवं पत्र संख्या-677/9-16-193ज/13, दिनांक 18.05.2016 तथा पत्र संख्या-1774/नौ-9-2020-47ज/13 दिनांक 08.09.2020 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार प्रस्तावित कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृत हेतु शासनादेश संख्या-714ए/ 9-7-991बी/99 दिनांक 12 मार्च, 1999 के द्वारा गठित कमेटी/समिति के समक्ष बाई-सर्कुलेट प्रस्तुत किया गया है।

3- उक्त प्रश्नगत प्रस्ताव पर निर्णय हेतु उपरोक्त शासनादेशानुसार गठित कमेटी/समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यगण व अन्य का अधिकारीगण का विवरण निम्नवत है:-


- 1-श्री इन्द्र विक्रम सिंह, जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
- 2-श्री रणविजय सिंह, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/वरि0प्र0अ0 स्था0नि0 गाजियाबाद।
- 3-श्री चन्द्रेश कुमार सिंह, प्रभारी अधिकारी(स्था0नि0) गाजियाबाद।
- 4-श्रीमती रंजीता धामा, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद-लोनी।
- 5-श्री रामराजा, अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, निर्माण खण्ड-2, गाजियाबाद।
- 6-श्री अरूण प्रताप सिंह, अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-प्रथम, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) गाजियाबाद।
- 7-श्री के0के0 मिश्र, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद-लोनी।

P.T.O






-EE UPSW(U)



4- नगर पालिका परिषद, लोनी को वित्तीय वर्ष 2021-22 द्वितीय किश्त, वर्ष 2022-23 प्रथम किश्त व द्वितीय किश्त, वर्ष 2023-24 प्रथम एवं द्वितीय किश्त में 15 वें वित्त आयोग के अंतर्गत निर्दिष्ट (Tied Grant) अनुदान की प्राप्त/अवशेष उपलब्ध धनराशि, जिससे विकास कार्य कराये जाने प्रस्तावित हैं, का विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	अनुदान विवरण	धनराशि
01	2021-22	8 / 2215 / 320(2) / 15वें वि०आ० / 2021-22 दिनांक 27 मार्च, 2022 (द्वितीय किश्त) अवशेष धनराशि	5,42,58,000.00
02	2022-23	8 / 3009 / 320(2) / 15वें वि०आ० / 2022-23, दिनांक 28 मार्च, 2023 (प्रथम किश्त)	11,23,80,702.00
03	2022-23	8 / 3548 / 320(3) / 15वे वि०आ० / 2022-23 दिनांक 12 सितम्बर 2023 (द्वितीय किश्त)	11,24,93,166.00
04	2023-24	8 / 4291 / 320(2) / 15वे वि०आ० / 2023-24 दिनांक 21 फरवरी, 2024 (प्रथम किश्त)	12,86,22,751.00
05	2023-24	8 / 4469 / 320(3) / 15वे वि०आ० / 2023-24 दिनांक 16 मार्च, 2024 (द्वितीय किश्त)	12,86,22,751.00
		कुल योग	53,63,77,370.00

स्वीकृत अनुदान राशि का उपयोग शासनादेशानुसार निम्न प्रकार से मूलभूत नागरिक सुविधाओं पर किया जाना है :-

1- जलापूर्ति

2- सीवरेज तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन

3- सेप्टेज प्रबन्धन सहित स्वच्छता

उपरोक्त बिन्दुओं में से प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति धनराशि का उपयोग 1-सीवरेज तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन 2- सेप्टेज प्रबन्धन सहित स्वच्छता के मदों पर धनराशि निम्न विवरण के अनुसार व्यय की जानी है।

5- वित्तीय वर्ष 2021-22 द्वितीय किश्त, वर्ष 2022-23 प्रथम किश्त व द्वितीय किश्त, वर्ष 2023-24 प्रथम एवं द्वितीय किश्त में स्वीकृत धनराशि की उपयोग अवधि चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के अनुसार 31 मार्च, 2025 तक निर्धारित है। उक्त अनुदान राशि से कराये जाने वाले कार्य की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उक्तानुसार गठित समिति के द्वारा की जानी है। प्रश्नगत स्वीकृत धनराशि का उपयोग, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित एम०ए० संख्या-38/2023 एवं ओ०ए० संख्या-196/2022 हरिओम गुप्ता बनाम नगर पालिका परिषद लोनी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.07.2024 के अनुपालन में निम्न प्रकार से किया जाना है।

प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त धनराशि का उपयोग, प्रस्तावित निम्न कार्य पर किया जाना है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	अनु० लागत
1	नगर पालिका परिषद, लोनी क्षेत्रान्तर्गत लौनी सीवरेज योजना (वार्ड संख्या-48 पूजा कालौनी) सीवर बिढाने एवं तत्सम्बन्धी कार्यों की योजना (सम्बन्धी पत्रावली पर उपलब्ध डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (2024-2025) जो अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड प्रथम, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) गाजियाबाद द्वारा तैयार किया गया है)।	7063.95 लाख रुपये

क्रमशः पेज 3 पर

-3-

6- उपरोक्तानुसार कुल प्रस्तावित व्यय अंकन ₹0 70,63,95,000-00 (₹0 सत्तर करोड तरेसठ लाख पिच्चानवें हजार), के सापेक्ष वर्तमान में 15वें वित्त आयोग से निर्दिष्ट (Tied Grant) अनुदान में शासन से प्राप्त/नगर पालिका परिषद लोनी में उपलब्ध अनुदान की धनराशि अंकन ₹0 53,63,77,370-00 (₹0 तिरेपन करोड तिरसठ लाख सतहत्तर हजार तीन सौ सत्तर) का हस्तान्तरण अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-प्रथम, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) गाजियाबाद को किया जाना प्रस्तावित है।

7- शासनादेश संख्या-714ए/9-7-991बी/99 दिनांक 12 मार्च, 1999 के द्वारा गठित कमेटी/समिति द्वारा नगर पालिका परिषद-लोनी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव संख्या-521/15वाँ वित्त का0यो0/न0पा0प0लोनी/2024 दिनांक:-23 जुलाई 2024 में प्रस्तावित उपरोक्त कार्य के स्टीमेट के देखने से विदित हुआ कि प्रस्तावित कार्य का आंगणन सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के सहायक अभियन्ता द्वारा तैयार कराकर अधिशासी अभियन्ता व अधिक्षण अभियन्ता उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) गाजियाबाद द्वारा आंगणन का सत्यापन किया गया है। उपरोक्त प्रस्तुत प्रश्नगत प्रस्ताव में निकाय द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि उपरोक्त प्रस्तावित कार्य किसी अन्य योजना में प्रस्तावित नहीं है, ना ही कराये गये हैं, प्रथम बार प्रस्तावित हैं। सभी कार्य निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के अनुरूप स्थल पर सम्पन्न कराये जायेंगे।

8- चूंकि शासनादेश संख्या-1359/9-9-12-199ज/2006 दिनांक 10 सितम्बर-2012 के परिपालन में नगर पालिका परिषद-लोनी द्वारा प्रस्तावित कार्य के आंगणन की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित एम0ए0 संख्या-38/2023 एवं ओ0ए0 संख्या-196/2022 हरिओम गुप्ता बनाम नगर पालिका परिषद लोनी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.07.2024 के अनुपालन में अनुरोध किया गया है, को दृष्टिगत रखते हुए बाई-सर्कुलेशन आधार पर समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि शासनादेश के क्रम में कार्य की स्वीकृति उपरान्त उसके क्रियान्वयन एवं परियोजना के कार्य की मानक के अनुरूप गुणवत्ता, वित्तीय अनुशासन को बनाये रखने और उसका अनुपालन करने की पूरी जिम्मेदारी आहरण, वितरण अधिकारी (मा0 अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद-लोनी) तथा कार्यदायी संस्था अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-प्रथम, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) गाजियाबाद तीनों की संयुक्त रूप से होगी।


9- उक्त प्रस्तावित धनराशि ₹0 53,63,77,370-00 (₹0 तिरेपन करोड तिरसठ लाख सतहत्तर हजार तीन सौ सत्तर) के अतिरिक्त शेष धनराशि का हस्तान्तरण कार्यदायी संस्था अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-प्रथम, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) गाजियाबाद को हस्तान्तरित की जा रही उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त 15वाँ वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत निर्दिष्ट अनुदान (Tied Grant) मद में भविष्य में निकाय को प्राप्त होने वाली धनराशि से हस्तान्तरित की जायेगी।

10- संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-05 लखनऊ के कार्यालय पत्र संख्या-एन0जी0टी0-194/नौ-5-2024-42रिट/2023 दिनांक 23.07.2024 के द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित एम0ए0 संख्या-38/2023 एवं ओ0ए0 संख्या-196/2022 हरिओम गुप्ता बनाम नगर पालिका परिषद लोनी व अन्य में पारित


P.T.O


-4-


आदेश दिनांक 12.07.2024 के अनुपालन में नगर पालिका परिषद लोनी जनपद गाजियाबाद में सीवरेज योजना (वार्ड सं०-44 पूजा कॉलोनी) हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) द्वारा तैयार किये गये आगणन अनुमानित लागत रु० 7063.75 लाख की धनराशि नगर पालिका परिषद लोनी को निर्दिष्ट अनुदान (Tied Grant) व बुनियादी अनुदान (Untied Grant) में उपलब्ध धनराशि दिये जाने हेतु निर्देश प्राप्त हुए हैं। अतः उक्त के क्रम में प्रस्तावित उक्त कार्य को कराये जाने की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति एवं उक्तानुसार वर्तमान में निकाय में उपलब्ध निर्दिष्ट अनुदान (Tied Grant) की धनराशि रु० 53,63,77,370-00 (रु० तिरेपन करोड तिरसठ लाख सतहत्तर हजार तीन सौ सत्तर) अग्रिम रूप में कार्यदायी संस्था अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-प्रथम, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) गाजियाबाद को हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति, इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि निकाय शासन से निर्गत/जारी निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुये निकाय स्तर पर प्रश्नगत प्रकरण में समयबद्ध रूप से नियमानुसार सभी औपचारिकतायें पूर्ण कर अग्रिम कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। यहां विशेष रूप से यह भी उल्लेखनीय है कि कार्यदायी संस्था अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-प्रथम, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) गाजियाबाद को बिल भुगतान आदि की प्रक्रिया करने से पूर्व यह आवश्यक सुनिश्चित करना होगा, कि शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में कराये गये कार्य की गुणवत्ता जिला स्तर पर सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रश्नगत कार्य पूर्ण हो जाने की सुस्पष्ट आख्या मय फोटोग्राफ की सत्यापित प्रति सहित मुख्यालय पर उपलब्ध करानी होगी ताकि शासन के निर्देशों का पालन कर कार्यदायी संस्था अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-प्रथम, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) गाजियाबाद को अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देश निर्गत किया जा सके। इसके साथ ही कार्यदायी संस्था अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-प्रथम, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) गाजियाबाद को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कराये जाने वाले कार्य का बोर्ड स्थल पर लगाना होगा, जिसमें उसका सभी पूर्ण ब्यौरा अंकित होगा। उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कार्यदायी संस्था अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-प्रथम, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) गाजियाबाद का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा।



अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
लोनी


अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद,
लोनी


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-प्रथम, उ०प्र०
जल निगम (नगरीय)
गाजियाबाद।


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-2 लो०नि०वि०
गाजियाबाद।


प्रभारी अधिकारी (स्था०नि०)
कलेक्ट्रेट-गाजियाबाद।


अपर जिलाधिकारी (प्र०)/
वरि०प्रभारी (स्था०नि०)
गाजियाबाद।


जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

कार्यालय
पत्रांक- 1567 /21-एल०बी०सी०/गा०बाद/2024

जिलाधिकारी

गाजियाबाद।

दिनांक: 24 जुलाई 2024
प्रतिलिपि:- मा० अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद लोनी को सूचनार्थ एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।


प्रभारी अधिकारी (स्था०नि०)
कलेक्ट्रेट, गाजियाबाद।

कार्यालय नगर पालिका परिषद्, लोनी (गाजियाबाद)

पत्रांक सं०-524 / न०पा०परि०लो० / 2024-25

दिनांक: 25 जुलाई 2024

सेवा में,

अधिकासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड (प्रथम),
उ०प्र० जल निगम (नगरीय),
गाजियाबाद।

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-38 / 2023 एवं 196 / 2022 हरिओम गुप्ता एवं अन्य बनाम नगर पालिका परिषद्, लोनी एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में नगर पालिका परिषद्, लोनी-गाजियाबाद की पूजा कालोनी हेतु प्रस्तावित लोनी सीवरेज योजना (वार्ड-48 पूजा कालोनी) की डी०पी०आर० अनुमानित लागत ₹० 7063.95 लाख के सम्बन्ध में।

महोदय,


कृपया उपरोक्त विषयक संयुक्त सचिव महोदय, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-एन.जी.टी.-194 / नौ-5-2024-42रिट / 2023 नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 23 जुलाई 2024 द्वारा में मा० राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-38 / 2023 एवं 196 / 2022 हरिओम गुप्ता एवं अन्य बनाम नगर पालिका परिषद्, लोनी एवं अन्य में नगर पालिका परिषद्, लोनी क्षेत्रान्तर्गत स्थापित पूजा कालोनी की सीवरेज की समस्या के निवारण हेतु पूजा कालोनी में सीवर लाईन बिछाये जाने की डी.पी.आर. (लोनी सीवरेज योजना (वार्ड-48 पूजा कालोनी)) मुख्य अभियन्ता (गा० क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद से मूल्यांकन उपरान्त अनुमानित लागत ₹० 7063.95 लाख दिये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद के पत्र सं०-1567 / एल० बी० सी०-21 दिनांक 24.07.2024 के द्वारा बाई सर्कुलेशन के माध्यम से समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि नगर पालिका परिषद्, लोनी क्षेत्रान्तर्गत स्थापित पूजा कालोनी की सीवरेज की समस्या के निवारण हेतु पूजा कालोनी में सीवर लाईन बिछाये जाने की डी.पी.आर. की अनुमानित लागत ₹० 7063.95 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2021-22 द्वितीय किश्त, वर्ष 2022-23 प्रथम किश्त व द्वितीय किश्त, वर्ष 2023-24 प्रथम व द्वितीय किश्त में 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत निर्दिष्ट अनुदान (Tied Grant) अनुदान की अवशेष धनराशि रुपये-53,63,77,370.00/- आपके विभाग को हस्तान्तरण किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा अतिरिक्त शेष धनराशि का हस्तान्तरण उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त 15वां वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत निर्दिष्ट अनुदान (Tied Grant) मद में भविष्य में निकाय को प्राप्त होने वाली धनराशि से हस्तान्तरित की जायेगी।

उक्त के क्रम में नगर पालिका परिषद्, लोनी क्षेत्रान्तर्गत स्थापित पूजा कालोनी की सीवरेज की समस्या के निवारण हेतु पूजा कालोनी में सीवर लाईन बिछाये जाने हेतु धनराशि रुपये-53,63,77,370.00/-आपके विभाग को स्थानान्तरित की जानी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त धनराशि आपके विभाग को स्थानान्तरित करने हेतु मांग पत्र मय बैंक विवरण सहित इस निकाय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे उक्त धनराशि आपके विभाग को तत्काल स्थानान्तरित की जा सके, चूँकि प्रकरण मा० एन०जी०टी० से आच्छादित है, शीघ्रता प्रार्थनीय है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।


(कृष्ण कान्त मिश्र)
अधिकासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद्, लोनी
गाजियाबाद

पत्रांक व दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

- 1-प्रमुख सचिव महोदय, उ० प्र० शासन, लखनऊ।
- 2-संयुक्त सचिव महोदय, उ० प्र० शासन, नगर विकास अनुभाग-5, लखनऊ।
- 3-प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ० प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
- 4-निदेशक महोदय, स्थानीय निकाय निदेशालय, गोमतीनगर सेक्टर-7, लखनऊ।
- 5-जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद।
- 6-मुख्य अभियन्ता (गाजियाबाद क्षेत्र) महोदय, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद।

अधिकासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद्, लोनी
गाजियाबाद

PFMS Generated Print Payment Advice

Approval date in PFMS: 26 Jul 2024	Payment Advice No.: C072441635290
Expiry date of PPA PFMS: 05 Aug 2024	Advice Print Date : 26 Jul 2024
PAN No. :	TAN No. :
Note For Branch: Kindly process the payment advice through CPSMS application by login through i-View(i-Sense) application and share 16 digit Acknowledgement (PI number) with the client.	
Contact Details	BANK
Name:	ICICI Bank PFMS Team
Email :	icicipfms@icicibank.com
Phone No.:	040 - 33593555
Note: For Agency: Kindly submit this advice duly signed to the branch at the earliest, post approval in PFMS system, to avoid any delay in payments.	

To,
The Branch Head

ICICI BANK LTD
GHAZIABAD,H.A.S.

We authorise the bank to debit our undernoted account maintained with the bank with batch amount and credit the beneficiary(ies) [#1] as per ANNEXURE-I uploaded to bank's central system through PFMS O/o CGA.

Bank Account No. 695601700305

Total Amount of Debit : Rs536377370.00

(Amount in words : Fifty-Three Crores Sixty-Three Lakhs Seventy-Seven Thousand Three Hundred Seventy)

No. Of Beneficiaries as per Annexure-I.

Batch No. C072441635290

Biste

Agency Seal

Rel

(Sign by Authorized Signatory)

(Sign by Authorized Signatory)

Name - _____

Name - _____

Designation - _____

Designation - _____

Mobile No - नगर पालिका परिवद, लोनी
गजियाबाद

Mobile No - नगर पालिका

To,

FIFTEENTH CFC TIED NPP LONI
GHAZIABAD

Ref: Account No.695601700305/ Payment Advice Number C072441635290

We confirm having received the captioned advice of credit(s) for payment today for further processing as per arrangement of bank on integrated PFMS-Bank payment system.

No. Of Beneficiaries : 1

Amount (in Rs.):536377370.00

Date & Time :

ICICI BANK LTD

Branch Seal

Branch Authorized Official

Agency to enter date of delivery in PFMS using option | E-Payment => PPA Submission Status

ANNEXURE-I						
(All page to be stamped and initial and last page to be signed in FULL with stamp)						
Payment Advice No.: C072441635290						
Sr.No.	Name of Beneficiary	PFMS Txn ID	Account Number:	IFSC/IIN/MICR	Aadhaar	Amount(In Rs.)
1	PROJECT MANAGER YAMUNA POLLUTION CONTROL UNIT I UP JAL NIGAM	C072441634933	xxxxxxxxxxxx4412	IBKL0000066		536377370.00
Total Amount(Rs)						536377370.00
Please acknowledge and do the needful as prescribed by bank to complete transactions.						

अधिकाारी/अध्यक्ष,
महोदय/महोदया,


कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण (एन0जी0टी0) में योजित ओ0ए0 सं0 38/2023 एवं 196/2022 हरिओम गुप्ता एवं अन्य बनाम नगरपालिका परिषद, लोनी एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में शासन एवं जिला स्तर की कार्यवाही एवं जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद की अध्यक्षता में गठित समिति (विकास कार्यों के आगणन की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति) बाई- सर्कुलेट आधार पर बिना बैठक दिनोंक: 24-07-2024 के आदेश पत्र सं0 1567/21-एल0बी0सी0/गा0बाद/2024 दिनोंक: 24-07-2024 के पत्र के साथ-2 अधिकाारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (प्रथम), उ0प्र0 जल निगम (नगर), राजनगर-गाजियाबाद के पत्र सं0 909/विविध-11 /47 दिनोंक: 25-07-2024 द्वारा प्रकरण के निस्तारण के क्रम में अंकन- रू0 53,63,77,370-00 की राशि अपने विभाग में बैंक खाते में भुगतान किये जाने हेतु खाता विवरण उपलब्ध कराया गया है।


2- निकाय द्वारा दर्शाये गये विवरण एवं जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार निकाय में 15 वें वित्त आयोग की निर्दिष्ट अनुदान (Tied Grant) जो वित्तिय वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक उपलब्ध राशि रू0 53,63,77,370-00 की राशि भुगतान की जानी है, अवगत कराना है कि उक्त योजना का खाता सं0 695601700305 शाखा प्रबन्धक, आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक, राजेन्द्रनगर-गाजियाबाद में संचालित है। वर्तमान में इस खाते में रू0 71,89,69,879-00 जमा है, भुगतान किये जाने वाली राशि के अतिरिक्त राशि रू0 18,25,92,509-00 शेष है, जो ब्याज एवं टेकेदारों को भुगतान किये जाने वाली राशि है।

3- यदि आप पूर्व में उपरोक्तानुसार प्रेषित पत्र के क्रम में प्राप्त मांग की राशि से सहमत हो, तो निकाय के 15 वें वित्त आयोग के खाता सं0 695601700305 शाखा प्रबन्धक, आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक, राजेन्द्रनगर-गाजियाबाद से अंकन- रू0 53,63,77,370-00 की राशि स्वीकृत कर भुगतान करना चाहे।

24
लिपिक
26/7/2024


स्वीकृत



अधिकाारी
नगरपालिका परिषद, लोनी
(गाजियाबाद)


अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद, लोनी
(गाजियाबाद)

स्वीकृत एवं भुगतान :---

रू0 53,63,77,370-00 (तरेपन्न करोड़ तरेसठ लाख सतत्तर हजार तीन सौ सत्तर रू0)	रू0 53,63,77,370-00 (तरेपन्न करोड़ तरेसठ लाख सतत्तर हजार तीन सौ सत्तर रू0)
---	---


अधिकाारी
नगरपालिका परिषद, लोनी
(गाजियाबाद)


अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद, लोनी
(गाजियाबाद)

V. No
Cheque No.....
Dated-.....-2024

V. No
Cheque No.....
Dated-.....-2024



निर्माण खण्ड (प्रथम), उ०प्र० जल निगम (नगरीय),
सी-९, सै०-१, आर०डी०सी०, राजनगर, गाजियाबाद 201 001

पत्रांक १०९

विवरण-११ / ५७

दिनांक २५/०७/२०२४

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
लोनी।


विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-३८/२०२३ एवं १९८/२०२२ हरिओम गुप्ता एवं अन्य बनाम नगर पालिका परिषद, लोनी एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में नगर पालिका परिषद, लोनी-गाजियाबाद की पूजा कालोनी हेतु प्रस्तावित लोनी सीवरेज योजना (वार्ड-४८ पूजा कालोनी) की डी०पी०आर० अनुमानित लागत रू० ७०६३.९५ लाख के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक ५२४/न०पा०परि०लो०/२०२४-२५ दिनांक २५.०७.२०२४ के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि लोनी क्षेत्रान्तर्गत स्थापित पूजा (वार्ड-४८) में सीवेज की समस्या के निस्तारण हेतु विरचित डी०पी०आर० अनुमानित लागत रू० ७०६३.९५ लाख के सापेक्ष आपके द्वारा धनराशि रू० ५३६३७७३७०.०० इस खण्ड को उपलब्ध कराये जाने हेतु मांग पत्र मय बैंक विवरण सहित उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है, के क्रम में कृपया धनराशि निम्नलिखित खाता विवरण में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

क्र० सं०	बैंक का नाम एवं शाखा	आई०एफ०एस०सी० कोड	खाता संख्या
१	IDBI Bank RDC Raj Nagar Ghaziabad	IBKL0000066	0066104000234412

भवदीय


२५/०७/२४

(अरुण प्रताप सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद।
- मुख्य अभियन्ता (गा० क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद।
- अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद।

अधिशासी अभियन्ता



OFFICE OF SUPERINTENDING ENGINEER
Construction Circle, U.P. Jal Nigam (Urban),
R-1, Sector-1 In Front of New Railway Station, Rajnagar,
Ghaziabad (U.P.)

Letter No: 1367 / Loni-Sewer-Pooja Colony / 01

Date: 24.07.2024

NOTICE FOR INVITATION OF E-TENDER (NIT)

On behalf of the Chairman, U.P. Jal Nigam (Urban) online E-Tender on percentage rate basis in Two Bid System for following works under Deposit Work are hereby invited on "TURNKEY" basis from the reputed contractors having requisite work experience & financial capabilities. The bidders should submit their bids only if they consider themselves eligible and are in possession of all the requisite documents.

Name of work & Location	Estimated cost of work put to bid in lacs (excluding GST & Including Labour Cess)	Earnest Money (Rs. In Lacs)	Cost of bid document	Period of completion	Last date & time of Submission of bid as specified in the bid documents	Time, date & place of opening of Technical Bid
<p><u>Name of Work:</u> -Loni Sewerage Scheme (Ward-48) Pooja Colony (NPP Loni):</p> <p><u>Location/ site:</u> - Pooja Colony (Ward-48) of Nagar Palika Parishad, Loni.</p> <p><u>Work Requirement:</u> -Investigation and survey (on GIS basis) of the project area including soil investigation, Engineering (hydraulic, structural design as required), Procurement of all labour & material, T&P etc. and construction of various components complete.</p> <p><u>Key components of Work:</u> -</p> <p>(a) Laying of Sewer Lines using DWC HDPE Pipe for 200 mm dia. to 250 mm dia. and RCC NP-3 pipe for 300 mm dia. to 1400 mm dia.</p> <p>(b) Construction of Manholes of different dimensions as per the provisions of Tender Documents</p> <p>(c) Construction of Sewer House connections: which includes construction of Sewer House connecting chambers, interconnecting chambers and making sewer House Connection using 160 mm dia. and 120 mm dia. DWC HDPE Pipe (SN-8 Class)</p> <p>(d) Interconnection of Proposed Sewer Gravity Mains to existing Sewer Gravity Mains</p> <p>(e) Reinstatement of B.O.E, CC Road, bituminous Road, Interlocking Tiles</p> <p><u>Work Programme:</u> - Deposit Work from Loni Nagar Palika Parishad.</p> <p><u>Nature of Bid:</u> -Bids are invited on percentage rate Turn-key basis.</p>	5503.37	55.04	20000.00 + 18% GST	24 Months (including Rainy season, if any And 3 months of testing & trial run)	Up to – 20.08.2024 till –17:00 Hrs-	On- 21.08.2024 at- 16:00 Hrs. in office of The Superintending Engineer Construction Circle, UP Jal Nigam (Urban), Ghaziabad

The Bid document may be downloaded from "https://tender.up.nic.in" w.e.f. 30.07.2024 at- 17:00 Hrs.

1. Pre bid meeting date, time venue: - 09.08.2024 at-13:00 Hrs. at office of The Superintending Engineer, Construction Circle, UP Jal Nigam (Urban), Ghaziabad.
 2. The Bid should be valid for 120 days from the last date of submission of bids.
 3. If the date of opening of technical bid happens to be a holiday, the bid shall be opened on the next working day at the same time for which no separate communication shall be sent.
 4. Bidders having criminal record will not be allowed to participate in Bid process.
 5. A person registered with any State Bar Council will not be eligible to participate in the Bid.
 6. As per Government norms GST at applicable rates will be paid extra.
7. **Joint Venture: -**
- a. The Joint Venture is allowed with maximum two member out of which lead member has to be an Indian firm/company. Foreign companies can be part of Joint Venture.
 - b. The lead member of the JV/Consortium must have minimum 51% of the Stake Holding. Member of Joint venture, other than the lead member, should have at least 30% Stake Holding.
 - c. Lead member should have a turnover of at least 51% of the total turnover required.
 - d. Lead member should have a Solvency of at least 51% of the total Solvency required
 - e. project costing ≤ 10 Cr.-JV/Consortium shall have the required technical experience collectively.
 - f. Project Costing > 10 Cr. upto 25 Cr.-Lead member of JV/Consortium should have at least 30% technical experience of required technical experience.
 - g. Project Costing > 25 Cr.-Both members of JV/Consortium should have at least 30% technical experience of required technical experience.
 - h. A member of JV/Consortium shall not participate either in individual capacity or as a member of another JV/Consortium in the same tender.
 - i. Tender form shall only be submitted in the name of the JV/Consortium. Tender fees may be submitted by lead partner/JV.
 - j. A single Performance Guarantee shall be submitted by the JV/Consortium in the name of the JV/Consortium.
 - k. All the member of the JV/Consortium of Bidders shall be liable jointly and severally for the execution of the project.
 - l. Tender for more than five projects of Amrut 2.0 will not be allotted to any firm as JV partner at any time. If a firm is allotted 5 tenders as JV partner, then that firm will not be able to participate in any tender as JV until one of the works of the allotted 5 tenders is finished and completion certificate have been issued by the concerned office. The above condition will not apply for individual participation in the tender.

8. Eligibility

(a) Experience

Contractors who inter-alia fulfill the following requirements shall be eligible to apply. Firm should have successfully completed and commissioned similar works mentioned below during last Ten years as on date of publication of NIT, satisfying followings: -

Three Completed, tested and commissioned works each costing not less than the amount equal to 30 % of estimated cost put to tender (i.e., Rs 1651.01-lacs).

OR

Two Completed, tested and commissioned works each costing not less than the amount equal to 40% of estimated cost put to tender (i.e., Rs 2201.35 lacs).

OR

One Completed, tested and commissioned work costing not less than the amount equal to 60% of estimated cost put to tender (i.e., Rs 3302.02-lacs).

Similar work shall mean-Completed, tested and commissioned works of sewer laying, and associated infrastructure works.

The experience must include one work of 2/3rd size of maximum diameter mentioned in BOQ of this NIT (i.e. $2/3 \times 1400 = 933.33$ say 1000 mm Dia.) for a minimum length of 500 meters.

The bidders may submit additional experience certificate to qualify in above particular condition categories if certificates submitted to fulfil financial criteria do not contain the category wise qualifying conditions.

Note:-

- i. The Bidder should have experience of work contract, including testing & commissioning successfully in last 10 years as on date of publication of NIT.
- ii. In case of Turn Key projects experience of works / components put to tender namely Intake, WTP, OHT, T/W, CWR Cum Pumping Station/ZPS, Distribution Networks for water supply will also be considered accordingly.
- iii. The experience in foreign countries of a subsidiary or parent company will also be considered for qualification. In case the company is not registered in India, the experience has to be certified by the respective Embassy office/Apostille (in case of members of Hague Apostille Convention).
- iv. The works like SCADA/Automation/I.T. Solutions and construction of electric sub-station can be out sourced/sub-contracted to other firms after approval of Engineer-in-charge, but the main contractor will be responsible for the quality of work and its timely completion.

(c) Average Annual Turnover: -

Average annual financial turnover during the immediate last three consecutive financial years on construction works should be at least 30% of the project cost put to tender. Annual financial turnover shall be certified by statutory auditor.

(d) Net Worth/ Profit & Loss :-

The firm should have positive net worth in the immediate last financial year and the same should be certified by statutory auditor.

Further, net worth of all the partners in a JV should individually be positive.

(e) Inflation Factor for experience on construction works:-

The value of experience on construction works / Value of experience shall be brought to current costing level by enhancing the actual value of work at simple rate @7% per annum calculated from the date of completion to the date of publication of NIT.

A typical index is given below.

Year	Escalation/ Updation factor
Year 1	1.00
Year 2	1.07
Year 3	1.14
Year 4	1.21
Year 5	1.28

(f) Solvency:-

- “Solvency Certificate of minimum 40% of the tender value will be required to be submitted. Solvency Certificate issued by any Scheduled Commercial Bank shall be accepted, which will be valid for a period of 1 year from the date of issue unless otherwise mentioned.”

or

- “Solvency Certificate issued by District Magistrate will also be accepted, which will be valid for a period of 1 year from the date of issue unless otherwise mentioned.”

9. This NIT and other information/corrigendum/agenda and Instruction for bidders posted on website shall form part of bid document.

10. The quantities given in the Bill of Quantities are estimated and provisional, and are given to provide a

962 common basis for bidding. These are liable to ~~be~~ ^{be} raised up to any extent for which no claim except as provided under contract shall be admitted.

11. The bid document consisting of Technical (eligibility) bid & financial bids including specifications, the bills of quantities of various types of items to be executed and the set of terms and conditions of the contract to be complied with and other necessary documents are available on "https://e-tender.up.nic.in".
12. The technical bid shall be opened first on due date and time as mentioned above. The time and date of opening of financial bid of contractors, qualifying the technical bid shall be communicated to them on a later date through portal.
13. If the Bidder feels that technical credentials of his own or other Bidders have been wrongly evaluated/verified, he may raise objections within 2 (two) working days from the date of uploading of result. No requests/objections shall be entertained beyond above limit; else it may be treated as an obstruction in tender process and shall be dealt with accordingly.
14. U.P. Jal Nigam (Urban) reserves the right to reject any prospective application or to cancel entire bid process without assigning any reason whatsoever.
15. E-tender document fee is non-refundable. It shall be deposited in the account of **Executive Engineer, Construction Division-I, U.P. Jal Nigam (URBAN) Ghaziabad** only by DD/RTGS/NEFT in **Punjab National Bank, Branch-Rajnagar, RDC, Ghaziabad, District-Ghaziabad, A/c No.-4078000100290289, IFSCCode-PUNB0407800.**
16. **Earnest Money:**
 - a) EMD will be 2% for works up to Rs 5.00 Cr. and 1% or Rs 10.00 Lacs whichever is higher for works above 5.00Cr.
 - b) EMD shall be paid through RTGS/FDR/Bank Guarantee issued by any scheduled commercial Bank.
 - c) Validity of BG will be at least **65** days beyond the validity of Tender.
 - d) In case of JV Earnest money may be submitted by lead partner/JV.
 - e) **The component of earnest money shall be deposited in the account of Executive Engineer, Construction Division-I,U.P. Jal Nigam(URBAN),Ghaziabad** only by DD/RTGS/NEFT in **Punjab National Bank, Branch-Rajnagar RDC, Ghaziabad, District-Ghaziabad, A/cNo.-4078000100290289,IFSC Code-PUNB0407800.**
 - f) The bidder shall deposit tender fee and earnest money **separately** in account mentioned as above. Further he shall upload digitally signed copies of original receipt so bank showing clearly the above details and/ or the Bank Guarantee.
 - g) In case EMD is submitted in the form of FDR/Bank Guarantee, bidder should ensure that such **Original FDR/Bank Guarantee is mandatorily deposited in the office of Executive Engineer, Construction Division-I, U.P. Jal Nigam (Urban), Ghaziabad on the day of scheduled date (during office hours) of opening of Technical Bid**, either in person or by Speed Post. The liability for timely submission shall lie with the Bidder; U.P. Jal Nigam (Urban) shall not be responsible for delay on account of any reason whatsoever.
 - h) EMD submitted in the form of FDR/BG, shall be pledged in the favour of Executive Engineer, Construction Division-I, UP Jal Nigam (Urban) Ghaziabad. ***It is made clear that Tender Fee and Earnest Money deposited in any other form besides as mentioned above sub-paras shall render the bid non-responsive.***
 - i) In case of JV the EMD should be in the name/ from the account of JV or lead partner as specified in the JV agreement.



17. All the Bank Guarantees submitted towards ~~FCR~~/Performance Security/Additional Performance Security should be verifiable and en-cashable from a branch situated in a city where the office of Divisional Officer is located.
18. All the documents as specified in the technical bid/eligibility bid document should be uploaded within the period of bid submission. U.P. Jal Nigam (Urban) will not be liable for incomplete/inaccurate / non-submission of bid for any reason whatsoever including technical reasons. It is made clear that separate submission of originals of any documents (**except Bank Guarantee**) other than scanning and uploading them, are not required, unless called for, after opening of financial bid.
19. The bid submission shall become invalid if:
- (i) The bidder is found ineligible.
 - (ii) The bidder does not upload all the documents as stipulated in the bid document.
 - (iii) If any discrepancy is noticed between uploaded documents and originals/hard copies submitted later.
 - (iv) If subsequent to due date of submission of bid and/or after its submission bidder makes any further communication/ representation with regard to the bid (whether technical or financial) than otherwise called for by the undersigned as a clarification.
 - (v) If a bidder does not quote any percentage above/below/par on the total amount of the tender or any section/sub head in percentage rate tender. Further the tender will not be considered as lowest bid.
 - (vi) Conditional tenders or Tenders without e-tender document fee & earnest money or invalid earnest money shall be summarily rejected.

20. **Additional Security/ Performance Security:**

The performance guarantee @10% of the contract cost will have to be submitted at the time of signing the contract in the form of FDR/ Bank Guarantee from any scheduled commercial Bank Alternatively on request of the contractor/firm, 5% of the performance Guarantee will be accepted at the time of signing of contract and rest 5% may be deducted from the initial running bill in a single deduction or at the rate of minimum 10% of the gross bill amount of running bill. However, in any case whole amount of balance performance guarantee shall be deducted within one year.

Works for which the cost of the tender received is more than 10% below the estimated cost of works, in such situation, the performance security for first 10% below shall be 10% thereafter, additional performance security @ 0.50% for each 1% further below than 10% shall be deposited by the firm in order to safeguard against contractor leaving the works.

21. Intending Bidders are advised to inspect and examine the site and its surroundings and satisfy themselves before submitting their bids as to the nature of the ground and sub-soil (so far as is practicable), the form and nature of the site, the means of access to the site, the accommodation they may require and in general shall themselves obtain all necessary information as to risks, contingencies and other circumstance which may influence or affect their bid. A bidder shall be deemed to have full knowledge of the site, whether he inspects it or not, and no extra charge consequent to any misunderstanding or otherwise shall be allowed. The bidder shall be responsible for arranging and maintaining at his own cost all materials, tools & plans, water, electricity access, faculties for workers and all others services required for executing the work unless otherwise specifically provided for in the contract documents. Submission of a bid by a bidder implies that he has read this notice and all other contract documents and has made himself aware of the instructions, scope and specifications of the work to be done and local conditions and other factors having a bearing on the execution of the work.

Note:-Bidders will have to quote their rate inclusive of labour Cess but without GST which shall be paid after submission of appropriate document/proof on actual basis.

Canvassing whether directly or indirectly, in connection with bids is strictly prohibited and the bids submitted by the bidders who resort to canvassing will be liable for rejection & will be debarred from future tender in U. P. Jal Nigam (Urban).

23. The available bid Capacity of the bidder at the expected time of bidding shall be more than the total estimated cost of the work for which the tender is invited.

The available Bid Capacity shall be assessed using following formula: -

Assessed Available Bid Capacity = $2x A \times N - B$ Where,

A = Maximum turnover during the last five financial year (corrected to the current level of value)

N = Stipulated period of execution of the work for which the tender is invited in years.

B = value of existing commitments to be completed during the execution period of bid.

The turnover shall be corrected to the current level of value by multiplying with the up-dation factor given at point 8(d) of this N.I.T./bid document.

Note:- The minimum Bid Capacity of each JV member must be in the ratio of their Stake holding in JV and sum of Bid Capacity of JV must be more or equal to required Bid Capacity.

24. The bidder shall not be permitted to bid for works under supervisory control of Superintending Engineer and Executive Engineer concerned who is responsible for execution of work, in which his near relative is posted. He shall also intimate the names of persons who are working with him in any capacity or are subsequently employed by him and who are near relatives to any officer in the U.P. Jal Nigam (Urban). Any breach of this condition by the contractor would render him, if empaneled with U.P. Jal Nigam (Urban), liable to be removed from the approved list of contractors of U.P. Jal Nigam (Urban) and make him liable for blacklisting.
25. No Engineer or other Gazetted Officer employed in Engineering or Administrative duties in an Engineering U.P. Jal Nigam (Urban) of the STATE GOVERNMENT/State U.P. Jal Nigam (Urban) Undertaking is allowed to work as a contractor for a period of two years after his retirement from Government service, without the prior permission of the Government of U.P. in writing. This contract is liable to be cancelled if either the contractor or any of his employees is found any time to be such a person who had not obtained the permission of the Government of U.P. as aforesaid before submission of the bid or engagement in the contractor's service.

(C.S. Solanki)

Superintending Engineer

Dated:

Endt. No / /

Copy to the following for information and necessary action please: -

1. Managing Director, U.P. Jal Nigam (Urban), Lucknow.
2. Chief Engineer (PPRBD), U.P. Jal Nigam (Urban), Lucknow.
3. Chief Engineer (Nagar), U.P. Jal Nigam (Urban), 6, Rana Pratap Marg, Lucknow.
4. Chief Engineer (Ghaziabad zone), U.P. Jal Nigam (Urban), Ghaziabad.
5. District Magistrate, Ghaziabad.
6. Public Relation Officer, U.P. Jal Nigam (Urban), 6- Rana Pratap Marg, Lucknow along with 6 copies of brief version of tender notice for publishing the same in at least two National level News Papers (Hindi & English) on two consecutive days and for uploading the same on UPJN web site. (Encl. – As above in 6 set.)
7. All Superintending Engineer, U.P. Jal Nigam (Urban) Ghaziabad Zone.
8. Executive Engineer. EDP Cell U.P. Jal Nigam (Urban), 6- Rana Pratap Marg, Lucknow.
9. All Executive Engineer, U.P. Jal Nigam (Urban), Ghaziabad Zone.
10. Executive Engineer, Construction Division-I, UP Jal Nigam (Urban), Ghaziabad.
11. Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Loni, Distt. Ghaziabad.
12. Notice Board.

Superintending Engineer




OFFICE OF SUPERINTENDING ENGINEER
Construction Circle, U.P. Jal Nigam (Urban),
R-1, Sector-1 In Front of New Railway Station, Rajnagar,
Ghaziabad (U.P.)

Letter No:	1367 / Loni-Sewer-Pooja Colony / 01	Date:	24.07.2024
------------	-------------------------------------	-------	------------

E-Tender Notice

On behalf of the Chairman, U.P. Jal Nigam (Urban) online e-tenders for execution of “Investigation and survey (on GIS basis) of the project area including soil investigation, Engineering (hydraulic, structural design as required), Procurement of all labour & material, T&P etc. and construction of various components complete for Loni Sewerage Scheme (Ward-48) Pooja Colony of Nagar Palika Parishad, Loni, Distt. Ghaziabad, U.P., India after successful testing and commissioning of following works on Turn-key basis,” under Deposit Work Programme. Bids are invited in two bid system on percentage rate basis from eligible, reputed and experienced bidders.

E-tender documents will be available for download from 30.07.2024 at- 17:00 Hrs., Pre- Bid meeting will be held on dated 09.08.2024 at 13:00 hrs. in the office of under signed. E-bid can be submitted till 20.08.2024 up to 17:00 Hrs. and technical bid shall be opened on 21.08.2024 at 16:00 Hrs. in the office of The Superintending Engineer, Construction Circle, U.P. Jal Nigam (Urban), Ghaziabad in presence of contractor or their authorized representative. E-tender Cost is Rs. 20000.00+GST @18%. Details are available on U.P. Govt. e-procurement portal <http://etender.up.nic.in> & U.P. Jal Nigam (Urban) website www.jn.upsde.gov.in.


 (C.S. Solanki)
 Superintending Engineer





Time: 07-27-2024 10:50
Note: ward number

Powered by NoteCam



Time: 07-27-2024 10:50
Note: ward number

Powered by NoteCam



Time: 07-27-2024 10:50
Note: ward number

Powered by NoteCam



Time: 07-29-2024 13:53
Note: ward number

Powered by NoteCam



Time: 07-29-2024 13:53
Note: ward number

Powered by NoteCam



Time: 07-27-2024 10:50
Note: ward number

Powered by NoteCam





Time: 07-29-2024 13:53
Note: ward number

Powered by NoteCam



National Green Tribunal




Case Title	Hariom Gupta Vs. Executive Officer Nagar Palika Loni
Miscellaneous No.	0701109003052022/6
Transaction id	0700110121842024
Bank Transaction id	3007240000184
Payment Date	2024-07-30 00:00:00.0
Amount	170 Rs.
Status	SUCCESS

S. No.	File Name	Party Name	Location	Document Type
1	Action Taken Report On Behalf Of The Nagar Palika, Parishad loni.pdf	Executive Officer Nagar Palika Loni	NEW DELHI (PRINCIPAL BENCH)	Reports





Jan 15, 2024 3:38:18 PM
bijander kumar
Index number: 5519



Jan 23, 2024 13:26:47
89° E

State Highway 57

Trans Delhi Signature City

Ghaziabad

Meerut Division

Uttar Pradesh

Altitude: 128.0m

Speed: 0.0km/h


Shivam prajapati ji

Index number: 1488





Jan 24, 2024 11:22:25 AM
135° SE
Saharanpur - Delhi Road
Trans Delhi Signature City
Ghaziabad
Meerut Division
Uttar Pradesh
Altitude:168.2m
Speed:0.0km/h
Dinesh parjapati
#Dinesh #prajapati
Index number: 1890





Jan 28, 2024 2:53:50 PM
bijander kumar
Index number: 6034



071H+79G, SH 57, Ansal East End, Trans Delhi Signature City, Ghaziabad, Pavi Sadakpur, Uttar Pradesh 201102, India

Ghaziabad
Uttar Pradesh
India

42°C
108°F

2024-06-17(Mon) 11:14(AM)



Q7HH+7P6, SH 57, Ansal East End, Trans Delhi Signature City, Ghaziabad, Pavi Sadakpur, Uttar Pradesh 201102, India

Ghaziabad
Uttar Pradesh
India

42°C
108°F

2024-06-17(Mon) 11:14(AM)



GPS Map Camera


Ghaziabad, Uttar Pradesh, India

khushal park, 25, Futa Rd, near by Malik Builders, Ghaziabad, Uttar Pradesh 201102, India

Lat 28.766623°

Long 77.27602°

19/06/24 10:37 AM GMT +05:30





Jul 9, 2024 12:39:46 PM
47° NE
Index number: 4443



Time: 07-10-2024 10:48
Note: ward number

Powered by NoteCam



 **GPS Map Camera**



Pavi Sadakpur, Uttar Pradesh, India
Q7HH+9J8, Om Sai City, Pavi Sadakpur, Uttar Pradesh 201102, India
Lat 28.778393°
Long 77.27884°
11/07/24 09:13 AM GMT +05:30



Time: 07-25-2024 16:31
Note: ward number

Powered by NoteCam





Time: 07-29-2024 13:53
Note: ward number

Powered by NoteCam




Time: 07-30-2024 17:28
Note: ward number

Powered by NoteCam




 GPS Map Camera





Pavi Sadakpur, Uttar Pradesh, India
Q7HH+9J8, Om Sai City, Pavi Sadakpur, Uttar Pradesh 201102, India
Lat 28.778331°
Long 77.278668°
31/07/24 08:50 AM GMT +05:30



 GPS Map Camera



Pavi Sadakpur, Uttar Pradesh, India
Q7HH+9J8, Om Sai City, Pavi Sadakpur, Uttar Pradesh 201102, India
Lat 28.778466°
Long 77.278628°
06/08/24 10:27 AM GMT +05:30



Pavi Sadakpur, Uttar Pradesh, India
Q7HH+HC4, Ansal East End, Trans Delhi Signature City, Pavi Sadakpur, Ghaziabad,
Uttar Pradesh 201102, India
Lat 28.778495°
Long 77.278622°
06/08/24 10:27 AM GMT +05:30